

(13)

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1, 1969/फाल्गुन 10, 1890

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 1, 1969/PHALGUNA 10, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st March 1969

G.S.R. 602.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds—

- (1) the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), namely:—
 - (i) No. 116/63—Central Excises, dated the 6th July, 1963;
 - (ii) No. 44/64—Central Excises, dated the 1st March, 1964;
 - (iii) No. 53/64—Central Excises, dated the 1st March, 1964; and
- (2) the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 232/67—Central Excises, dated the 15th November, 1967.

[No. 16/69.]

G.S.R. 603.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that in the notifications (as they now stand) of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table below, for the expressions specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, wherever they occur in the said notifications, the expressions specified in the corresponding entries in column (4) thereof shall be substituted.

THE TABLE

S. No.	Notification No. and date	For	Substitute
(1)	(2)	(3)	(4)
1	No. 24/65—Central Excises, dated the 28th February, 1965.	“95% ad valorem” Occurring against item No. 4.II(2) “65% ad valorem” Do. “35% ad valorem” Do. “Rs. 20 per quintal” Occurring against item No. 13.	“107½ per cent <i>ad valorem</i> ” “72½ per cent. <i>ad valorem</i> ” “40 per cent. <i>ad valorem</i> ” “Five per cent. <i>ad valorem</i> ”
2	No. 92/66—Central Excises, dated the 6th June, 1966.	“Rs. 165·25 per kilo-litre at fifteen degrees of Centigrade thermometer”	“Rs. 205·25 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer”
3	No. 112/66—Central Excises, dated the 9th July, 1966.	“gramophones or record players”	“gramophones, record players, record playing decks or record changer decks”
4	No. 119/66—Central Excises, dated the 16th July, 1966.	“(1 of 1944)”	“(1 of 1944), and wire bars, wire rods and castings of copper and copper alloys falling under sub-item (1a) of the said Item No. 26A,”
5	No. 120/67—Central Excises, dated the 14th June, 1967.	“(1 of 1944)” “if such aluminium in crude form is made”	“(1 of 1944), and aluminium casting falling under sub-item (aa) of the said Item No. 27”. any “if such aluminium in any crude form or such aluminium wire bars, wire rods or castings are made”
6	No. 128/67—Central Excises, dated the 30th June, 1967.	“40 per cent.”	“25 per cent.”
7	No. 253/67—Central Excises, dated the 15th November, 1967.	“is in excess of Rs. 11·08 per quintal”	“is equivalent to Rs. 11·07 per quintal.
8	No. 25/68—Central Excises, dated the 1st March, 1968.	“Rupees three each” “Rupee one each”	“One rupee and fifty paise each” “Fifty paise each”

G.S.R. 604.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), from so much of the duty of excise and the additional duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty and the additional duty calculated on the basis of the price determined by the Central Government, from time to time, under sub-section (3C) of section 3 of the said Essential Commodities Act, as the price payable for such sugar to the producer thereof:

Provided that the element of the duty and the additional duty, if any, added to the price aforesaid shall be deducted before calculating the duty and the additional duty on the basis of such price.

[No. 18/69.]

G.S.R. 605.—In pursuance of rule 92-B of the Central Excise Rules, 1944 read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby directs that in the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) specified in column (2) of the Table below, for the figures specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, the figures specified against them in column (4) thereof shall be substituted.

THE TABLE

S. No.	Notification No. and date	For	Substitute
(1)	(2)	(3)	(4)
1	No. 57/67—Central Excises, dated the 15th April, 1967.	"550" "730" "1100" "1460"	"730" "970" "1470" "1950"
2	No. 58/67—Central Excises, dated the 15th April, 1967.	"820" "1100" "1640" "2190"	"1090" "1470" "2190" "2920"

[No. 19/69.]

G.S.R. 606.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 255/67—Central Excises, dated the 15th November, 1967, the Central Government hereby exempts khand-sari sugar, falling under sub-item (2) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the additional duty of excise leviable thereon as is in excess of two and one-half per cent. *ad valorem*.

[No. 20/69.]

G.S.R. 607.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts confectionery falling under sub-item (1) of item No. 1A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of thirty paise per kilogram.

[No. 21/69.]

G.S.R. 608.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts prepared or preserved foods [falling under item No. 1B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)], other than those specified in the Schedule hereto annexed, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

THE SCHEDULE

1. Sausages and the like, of meat, meat offal or animal blood;
2. Other prepared or preserved meat or meat offal;
3. Meat extracts and meat juices;
4. Prepared or preserved fish, including caviar and caviar substitutes;
5. Crustaceans and molluscs, prepared or preserved;
6. Soups and broths, in liquid, solid or powder form;
7. Fruit and vegetables, prepared or preserved, with or without sugar, salt, spices or mustard;
8. Jams, fruit jellies, marmalades, fruit puree and fruit pastes, being cooked preparations, whether or not containing added sugar;
9. Fruit juices and vegetable juices, whether or not fermented and whether or not containing added sugar;
10. Corn flakes, oats and beans.

[No. 22/69.]

G.S.R. 609.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section 3 of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby directs that in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 105/67-Central Excises, dated the 28th May, 1967, for the figures "20" and "11" occurring in the TABLE annexed thereto, the figures "23" and "14" shall, respectively, be substituted.

[No. 23/69.]

G.S.R. 610.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts fertilisers, falling under Item No. 14HH of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and manufactured from duty paid fertilisers (hereinafter referred to as "the base fertilisers"), from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the duty of excise or as the case may be the additional duty under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), already paid on the base fertilisers;

Provided that the fertilisers, in or in relation to the manufacture of which no process has been carried on with the aid of power and which have been manufactured from base fertilisers on all of which the appropriate amount of the duty of excise or as the case may be, the additional duty aforesaid, if any leviable, has already been paid, shall be exempt from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No. 24/69.]

G.S.R. 611.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 11/68-Central Excises, dated the 3rd February, 1968, the Central Government hereby exempts glass shells, falling under Item No. 23A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and designed for use in the manufacture of electric lighting bulbs and fluorescent lighting tubes, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No. 25/69.]

G.S.R. 612.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts steel ingots, falling under Item No. 26 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon provided such steel ingots are manufactured with the aid of electric arc furnace and from either of the following materials or a combination thereof, namely:—

- (i) old iron or steel melting scrap;
- (ii) fresh unused steel melting scrap on which the appropriate amount of duty of excise, if any leviable, has been paid.

[No. 26/69.]

G.S.R. 613.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts iron or steel products falling under Item No. 26AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the duty of excise for the time being leviable on steel ingots falling under Item No. 26 of the said First Schedule provided such iron or steel products are manufactured with the aid of electric arc furnace and from either of the following materials or a combination thereof, namely:—

- (i) old iron or steel melting scrap;
- (ii) fresh unused steel melting scrap on which the appropriate amount of duty of excise, if any leviable, has been paid.

[No. 27/69.]

G.S.R. 614.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts electric motors, rotors and stators [falling under Item No. 30 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)] from the whole of the duty of excise leviable thereon if such electric motors, rotors or stators are used in the factory of production as component parts in the manufacture of electric fans [falling under Item No. 33 of the said Schedule] on which the whole of the duty of excise is leviable.

[No. 28/69.]

G.S.R. 615.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts electric motors, rotors and stators [falling under Item No. 30 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)] from the whole of the duty of excise leviable thereon if such electric motors, rotors or stators are used in the factory of production as component parts in the manufacture of power driven pumps (falling under Item No. 30A of the said Schedule) on which the whole of the duty of excise is leviable.

[No. 29/69.]

G.S.R. 616.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts power driven pumps, falling under Item No. 30A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), on which the whole of the duty of excise is leviable, and which are fitted with duty paid electric motors or rotors or stators, from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the amount of the duty of excise or as the case may be, the additional duty under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) already paid on such electric motors or rotors or stators.

[No. 30/69.]

G.S.R. 617.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 124/65-Central Excises, dated the 14th August, 1965, namely:—

In the said notification, the words, figures and brackets "Item No. 33(3) or" shall be omitted.

[No. 31/69.]

G.S.R. 618.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 207/67-Central Excises, dated the 16th September, 1967, namely:—

In the said notification, in the TABLE, for item (i) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)
(i) does not exceed Rs. 165-00—	
(a) if manufactured in an industrial undertaking to which Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) applies.	7-50
(b) in the case of others	Nil

[No. 32/69.]

G.S.R. 619.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts domestic electrical appliances [falling under Item No. 33C of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)], other than those specified in the Schedule hereto annexed, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

THE SCHEDULE

1. Vacuum cleaners;
2. Floor polishers;
3. Grinders and mixers;
4. Juice extractors;
5. Cream whippers and egg beaters;
6. Clothes washing machines;
7. Dish washing machines;
8. Automatic smoothing irons fitted with device for automatic regulation of temperature;
9. Geysers, all types;
10. Water boilers;
11. Shavers;
12. Hair dryers, hair curlers, permanent waving apparatus and curling tong heaters;
13. Massage apparatus;
14. Kettles, saucepans, steamers, coffee makers (including percolators of the domestic type), cookers, egg boilers, frying pans;
15. Toasters;
16. Hot plates, cooking ranges, grillers, boiling plates, plate warmers, food warming trays, food warming trolleys, hot food cabinets;
17. Coffee roasting appliances;
18. Room heaters fitted with air circulation device;
19. Ice cream churners;
20. Domestic ovens of all types.

[No. 33/69.]

G.S.R. 620.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts domestic electrical appliances, falling under Item No. 33C of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), on which the whole of the duty of excise is leviable, and which are fitted, with duty paid electric motors or rotors or stators, from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the amount of the duty of excise or as the case may be, the additional duty under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) already paid on such electric motors or rotors or stators.

[No. 34/69.]

G.S.R. 621.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts electric motors, rotors and stators [falling under Item No. 30 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)] from the whole of the duty of excise leviable thereon if such electric motors or rotors or stators are used in the factory of production as component parts in the manufacture of domestic electrical appliances [falling under Item No. 33C of the said Schedule] on which the whole of the duty of excise is leviable.

[No. 35/69.]

G.S.R. 622.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 39 of the Finance Act, 1968 (19 of 1968), the Central Government hereby exempts all excisable goods mentioned in sub-section (1) of section 39 of the said Act from so much of the special duty of excise leviable thereon under that sub-section read with any notification issued under sub-section (4) of that section, as relates to the period commencing on the 1st March, 1969, and ending with the 31st March, 1969.

[No. 36/69.]

G.S.R. 623.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 39 of the Finance Act, 1968 (No. 19 of 1968) and sub-clause (4) of clause 31 of the Finance Bill, 1969, which clause has, by virtue of a declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 24/68-Central Excises, dated the 1st March, 1968, the Central Government hereby exempts aluminium falling under Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944, (1 of 1944), and specified in column (2) of the Table hereto annexed, from so much of the duty of excise and special duty of excise leviable thereon as is specified in column (3) and column (4), respectively, of the said Table, subject to the conditions that—

- (i) such aluminium is manufactured by its manufacturer from bauxite or from alumina or from both and
- (ii) clearances of aluminium, in whatever form, by the said manufacturer during the preceding financial year did not exceed 12,500 metric tonnes.

TABLE

Serial No.	Description	Rate of	
		duty of excise	special duty of excise
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aluminium in any crude form falling under sub-item (a) of Item No. 27 aforesaid.	Rs. 80.00 per metric tonne	The whole
2	Aluminium wire bars, wire rods and castings falling under sub-item (aa) of Item No. 27 aforesaid.	Rs. 80.00 per metric tonne	The whole

(1)	(2)	(3)	(4)
3	Aluminium manufactures falling under sub-item (b) of Item No. 27 aforesaid.		
	(a) aluminium circles having thickness of and above 0.56 millimetre but not above 1.22 millimetres,	Rs. 80.00 per metric tonne	The whole
	(b) other aluminium manufactures	Nil	Rs. 270.00 per metric tonne
4	Aluminium foils, pipes and tubes, and extruded shapes and sections falling under sub-items (bb), and (c) and (d) of Item No. 27 aforesaid.	Nil	Rs. 150.00 per metric tonne

2. Nothing contained in this notification shall apply to any manufacturer who avails of the exemption contained in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 41-69 Central Excises, dated the 1st March, 1969.

13 13

[No. 37/69.]

G.S.R. 624.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 31 of the Finance Bill, 1969, which clause has, by virtue of a declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts the excisable goods specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the Items, specified in column (2) of the said Table, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter called the Central Excises Act), from so much of the special duty of excise leviable thereon under sub-clause (1) of clause 31 aforesaid as is in excess of the duty specified in the corresponding entries in column (4) of the said Table and subject to the conditions laid down in the corresponding entries in column (5) thereof:—

THE TABLE

S.No.	Item No. of the First Schedule to the Central Excises Act.	Description	Duty as percentage of Duty leviable under the Central Excises Act read with any notification for the time being in force.	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	3(1)	All varieties of tea (except package tea)	Nil	
2.	6	Motor spirit	Nil	
3.	8	Refined Diesel oils and Vaporizing oil	Nil	
4.	9	Diesel oil, not otherwise specified	Nil	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	13	Vegetable Product	Nil	
6.	14D	Synthetic organic dyestuffs (including pigment dyestuffs) and synthetic organic derivatives used in any dyeing process	Nil	
7.	15B	Cellophane	Nil	
8.	16	Tyres for motor vehicles but only on the first clearances for home consumption during the period commencing on the 1st April, 1969 and ending on the 31st March, 1970 (both days inclusive) upto a total value of Rs. 1.25 crores.	Nil	If the total value of the tyres for motor vehicles cleared by the manufacturer during the financial year 1968-69 for home consumption did not exceed Rs. 4 crores.
9.	17 (3)	Printing and writing paper (including all unbleached and tinted varieties thereof but not including other coloured varieties) of a substance not exceeding 75 grammes per square metre.	Nil	If such paper does not contain in its substance any rag in the form of pulp or if it contains any rag, it also contains in its substance not less than 40 per cent. of bagasse, jute stalk or cereal straw in the form of pulp. <i>Explanation.</i> —The expression 'rag in the form of pulp' does not include pulp made out of soiled rags taken from worn and torn pieces of garments, or from soiled scraps of cloth (collected either from residential quarters or from streets or from debris dumps), or from such worn and torn pieces of garments and soiled scraps of cloth.
10.	18A	Cotton twist, yarn and thread, all sorts.	Nil	
11.	23A	Glass and Glassware other than sheet glass and plate glass.	Nil	
12.	23B	Chinaware and Percelainware	Nil	
13.	28	Tin plate and tinned sheets including tin taggers, and cutting of such plates, sheets or taggers.	Nil	
14.	32(I)	Vacuum and gas-filled electric lighting bulbs not exceeding 60 watts, but excluding electric lighting bulbs of the type known commercially as "Miniature lamps."	Nil	

[No. 38/69.]

G.S.N. 625.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 31 of the Finance Bill, 1969, which clause has, by virtue of a declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts the excisable goods specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under Item No. 18 of the First Schedule

to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the special duty of excise leviable thereon under sub-clause (1) of the said clause 31 as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) or column (4), as the case may be, of the said Table :

THE TABLE

S. No.	Description	Duty	
		In the case of manufacturers whose clearances of staple fibre of cellulosic origin and of rayon and synthetic yarn consisting entirely of cellulose derivatives or regenerated cellulose or both, taken together, for home consumption during the financial year 1966-67 did not exceed 35.5 lakh kilograms.	In other cases
(1)	(2)	(3)	(4)
		(Rs. per kilogram)	
1	Yarn spun—		
	(a) wholly out of synthetic staple fibre of cellulosic origin	Nil	Nil
	(b) partly out of such staple fibre and partly out of cotton, provided that the cotton content of the yarn does not exceed 40 per cent. of its weight	Nil	Nil
2	Rayon and synthetic yarn consisting entirely of cellulose derivatives or regenerated cellulose or both		
	(i) below 75 deniers	2.50	2.80
	(ii) 75 deniers and above but below 100 deniers	1.75	1.75
	(iii) 100 deniers and above but below 120 deniers	1.15	1.15
	(iv) 120 deniers and above but below 150 deniers	0.90	1.00
	(v) 150 deniers and above but below 350 deniers	0.80	0.90
	(vi) 350 deniers and above	Nil	Nil

[No. 39/69.]

G.S.R. 626.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 31 of the Finance Bill, 1969, which clause has, by virtue of a declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts strawboard and millboard falling under Item No. 17(3) of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the special duty of excise leviable thereon under sub-clause (1) of the said clause 31.

Explanation.—For the purposes of this notification,—

- (1) 'millboard' means any unbleached homogenous board, having a thickness exceeding 0.50 millimetres and made out of mixed waste papers with or without screenings and mechanical pulp but without any colouring matter being added thereto;
- (2) 'strawboard' means a board made wholly or predominantly from partially cooked unbleached straw or bagasse or grasses or a mixture of these:

Provided that—

- (i) the quantity of any other material used shall not exceed one-third in weight of the total weight of the ingredients,
- (ii) such board shall not be specially compressed and shall not have any paper pasted on either surface.

[No. 40/69.]

G.S.R. 627.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 31 of the Finance Bill, 1969, which clause has, by virtue of a declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts (1) aluminium in any crude form falling under sub-item (a) of Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944); (2) aluminium wire bars, wire rods and castings falling under sub-item (aa) of the said Item No. 27; and (3) aluminium manufactures falling under sub-item (b) of the said Item No. 27, from so much of the special duty of excise leviable thereon under sub-clause (1) of clause 31 aforesaid as is equivalent to the special duty of excise leviable at Rs. 120.00 per metric tonne.

2. Nothing contained in this notification shall apply to any aluminium manufactures in respect of which the exemption contained in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 140/68-Central Excises, dated the 6th July, 1968 is availed of.

[No. 41/69.]

G.S.R. 628.—In exercise of the powers conferred by rules 12 and 12A of the Central Excise Rules, 1944, read with clause 31 of the Finance Bill, 1969 which clause has, by virtue of a declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby directs that where any goods have been subjected to a special duty of excise under the aforesaid clause and where on the export of such goods the Central Government has, by a notification issued under the said rule 12 or 12A, permitted the rebate of excise duty paid on such goods under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), a rebate of the special duty of excise shall also be made in full subject to the same conditions as govern the rebate of excise duty.

[No. 42/69.]

G.S.R. 629.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of the clause 31 of the Finance Bill, 1969, which clause has, by virtue of a declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts excisable goods referred to in sub-clause (1) of clause 31 of the aforesaid Bill and in respect of which goods a notification under sub-rule (1) of rule 8 of the aforesaid Rules has been issued by the Central Government exempting them from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the amount of the duty of excise already paid on other excisable goods (hereinafter referred to as "intermediate products") used in their manufacture and which are specified in the respective notification, from so much of the special duty of excise leviable thereon as is equivalent to the special duty of excise already paid on the intermediate products specified in the respective notification.

[No. 43/69.]

G.S.R. 630.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts wool tops, falling under Item No. 43 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of ten paise per kilogram.

[No. 44/69.]

G.S.R. 631.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 42/63-Central Excises dated the 1st March, 1963, the Central Government hereby exempts cinematograph films exposed falling under sub-item II(2) of Item No. 37 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944, (1 of 1944) and specified in column 2 of the Table hereto annexed from so much of duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty of excise specified in the corresponding entry in column 3 or column 4 thereof, as the case may be.

THE TABLE

S. No.	Description	Amount duty for films which are below 30 mm in width	Amount of duty for films which are of a width of 30 mm or higher and not ex- exceeding ceeding 4000 metres 4000 metres in length in length	4(a)	4(b)
1	2	3	4(a)	4(b)	
		(Rs. per metre)	(Rs. per metre)	(Rs. per metre)	
I. Films made in Black and White					
1 Cleared for home consumption within twelve months immediately following the month of certification by the Central Board of Film Censors :					
(i)	First 12 prints of each picture	Nil	Nil	Nil	
(ii)	Next 8 prints of each picture	0.07	0.10	0.15	
(iii)	Next 15 prints of each picture	0.12	0.18	0.27	
(iv)	Next 15 prints of each picture	0.22	0.32	0.45	
(v)	Next 25 prints of each picture	0.33	0.45	0.55	
(vi)	On the balance	0.45	0.60	0.70	
2 Cleared for home consumption after 12 months immediately following the month of certification by the Central Board of Film Censors.					
		Nil	Nil	Nil	
II. Films Made in Colour.					
1 Cleared for home consumption within 12 months immediately following the month of certification by the Central Board of Film Censors.					
(i)	First 8 prints of each picture	0.05	0.75	0.10	
(ii)	Next 12 prints of each picture	0.10	0.15	0.20	

1	2	3	4(a)	4(b)
			Re-per me re	
(iii)	Next 15 prints of each picture	0.18	0.27	0.36
(iv)	Next 15 prints of each picture	0.33	0.48	0.64
(v)	Next 25 prints of each picture	0.50	0.67	0.90
(vi)	On the balance	0.67	0.90	1.20
2	Cleared for home consumption after 12 months immediately following the month of certification by the Central Board Film Censors	0.10	0.15	0.25

Provided that if a film is made partly in black and white and partly in colour—

- (i) the lengths made in black and white, and in colour shall be assessed separately at the rate applicable respectively to films in black and white and in colour, and
- (ii) the total length of the film (including black and white and colour) shall be the basis to determine whether assessment under each category is to be made at the rates specified in column 4(a) or 4(b) of the above Table.

[No. 45/69.]

G.S.R. 632.—In exercise of the powers conferred by rule 12 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 197/62-Central Excises, dated the 17th November, 1962, namely:—

2. In the Table annexed to the said notification. in column 2, against serial No. 1,—

- (1) for the entry "Caustic Soda", the entry "Caustic Soda, whether in a solid form or in lye" shall be substituted;
- (2) for the entry "Electric fans, and parts of fans namely, complete motors, stators and rotors", the entry "Electric fans" shall be substituted;
- (3) for the entry "Gramophones, parts and accessories thereof and gramophone records", the entry "Gramophones, including record players, record playing decks and record changer decks, whether mechanically or electrically driven, with or without an in-built system of sound reproduction or amplification (acoustic, electronic or transistorised), and parts and accessories thereof not elsewhere specified, and gramophone records, all sorts" shall be substituted;
- (4) in the entry relating to confectionery and chocolates, in sub-item (2), after the word "Chocolates", the words "in bulk or" shall be inserted;
- (5) in the entry "Textile fabrics impregnated or coated with preparations of cellulose derivatives or of other plastic materials", the words "not elsewhere specified" shall be added at the end;
- (6) the entry 'Embroidery, in the piece, in strips or in motifs in or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power' shall be omitted;
- (7) the following entries shall be added at the end, namely:—

"Prepared or preserved foods put up in unit containers and ordinarily intended for sale, not elsewhere specified. Fertilisers, all sorts, but excluding natural animal or vegetable fertilisers when not chemically treated.

Power driven pumps (including motor pumps, turbo pumps and monobloc pump sets) for liquids, whether or not fitted with measuring devices.

Domestic electrical appliances, not elsewhere specified. Cinematograph films unexposed.

Plifter proof caps for packaging, all sorts, with or without washers or other fittings of cork, rubber, polyethylene or any other material.
Wool tops."

[No. 46/69.]

G.S.R. 633.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cotton yarn, falling under Item No. 18A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), intended to be used in the manufacture of cotton fabrics falling under sub-item I(1) of Item No. 19 of the aforesaid Schedule from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that in respect of the said cotton yarn produced elsewhere than in the factory of production of the said cotton fabrics, the procedure set out in Chapter X of the aforesaid rules is followed.

[No. 47/69.]

G.S.R. 634.—In pursuance of rule 96W of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 84/67-Central Excises, dated the 26th May, 1967, the Central Government hereby directs that the rate of duty in respect of cotton yarn falling under item No. 18A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be the rate mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S No. (1)	Description of yarn (2)	Rate (3)
		Paise per square metre of the fabric made.
1	Yarn used in making superfine fabrics . . .	20.00
2	Yarn used in making fine fabrics . . .	12.00
3	Yarn used making medium-A . . .	6.63
4	Yarn used in making medium-B fabrics . . .	4.40
5	Yarn used in making coarse fabrics . . .	2.20
6	Yarn used in making embroidery in the piece, in strips or in motifs.	The duty for the time being leviable on cotton yarn contained in the base fabrics if not already paid.
7	Yarn used in making fabrics impregnated or coated with preparations of cellulose derivatives or of other artificial plastic materials.	The duty for the time being leviable on cotton yarn contained in the base fabrics if not already paid.

Provided that if the manufacturer elects to avail himself of the special provision contained in rule 96W aforesaid, the procedure set out in that rule in this behalf shall uniformly apply to all the cotton yarn specified in the above Table and used by him in the production of cotton fabrics in his factory.

Explanation:—

For the purposes of this notification:—

(i) "base fabrics" shall have the same meaning as assigned to it in Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944),

(ii) the average count of yarn in a fabric shall be deemed to be the count of all yarn contained in such fabric.

[No. 48/69.]

G.S.R. 635.—In pursuance of rule 96W of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 113/65-Central Excises, dated the 24th July, 1965, the Central Government hereby directs that the rate of duty in respect of cotton yarn [falling under Item No. 18A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)], used in the manufacture of cotton fabrics generally described as Malimo type fabrics or fabrics in which the warp and weft yarns are connected and fastened together by chain stitches barred against each other (falling under Sub-item I(2)(f) of Item No. 19 of the aforesaid schedule), shall be 4.4 paise per square metre of the fabrics manufactured.

[No 49/69.]

G.S.R. 636.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 87/67-Central Excises, dated the 26th May, 1967, the Central Government hereby exempts cotton yarn falling under Item No. 18A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and contained in fents arising out of cotton fabrics produced by factories working under the special procedure laid down in rule 96-V of the said rules, as specified in column (2) of the Table below from so much of the duty leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) thereof.

THE TABLE

Sl. No.	Description	Duty
(1)	(2)	(3)
		(Rs. per kilogram)
1	Cotton yarn contained in fents of suprefine fabrics.	2.00
2	Cotton yarn contained in fents of fine fabrics..	0.80
3	Cotton yarn contained in fents of medium (E) fabrics.	0.45
4	Cotton yarn contained in fents of medium (B) fabrics.	0.30
5	Cotton yarn contained in fents of coarse fabrics.	0.15
6	Cotton yarn contained in fents of embroidery in the piece, in strips or in motifs.	The duty for the time being leviable on cotton yarn contained in the fents of the base fabrics if not already paid.
7	Cotton yarn contained in fents of cotton fabrics impregnate or coated with preparations of cellulose derivatives or of other artificial plastic materials.	The duty for the time being leviable on cotton yarn contained in the fents of the base fabrics if not already paid.

Explanation.—For the purposes of this notification,—

- (i) "base fabrics" shall have the same meaning as assigned to it in Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).
- (ii) the weight of yarn contained in the fents as are grey at the time of their clearance from the factory shall be computed at ninety-five per cent. of the weight of the fents.

[No. 50/69.]

G.S.R. 637.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 116/65 Central Excises, dated the 24th July, 1965, the Central Government hereby exempts cotton yarn falling under Item No. 18A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) contained in fents of cotton fabrics generally described as Malimo type fabrics and fabrics in which the warp and weft yarns are connected and fastened together by chain stitches barred against each other falling under sub-item 1 (2) (f) of Item No. 19 of the aforesaid Schedule), from so much of the duty leviable thereon as is in excess of 16·5 paise per kilogram.

Explanation.—For the purposes of this notification, the weight of yarn contained in such fents as are grey at the time of their clearance from the factory shall be computed at ninety-five per cent of the weight of the fents.

[No. 51/69.]

G.S.R. 638.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 83/67 Central Excises, dated the 26th May, 1967, the Central Government hereby exempts cotton twist, yarn and thread falling under Item No. 18A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (2) of the Table below, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) or column (4) as the case may be, of the said Table:—

THE TABLE

Sl. No.	Description.	Duty	
		Single yarn whether grey or bleached and grey multiple bold yarn in hanks	All others.
(1)	(2)	(3)	(4)
		Rs. per kilogram	
	Cotton Twist, yarn or thread—		
1	of 69 or more counts	0·90	1·50
2	of 51 or more counts but less than 69 counts, ...	0·65	1·25
3	of 40 or more counts but less than 51 counts, ...	0·40	1·40
4	of 34 or more counts but less than 40 counts, ...	Nil	0·80
5	of 29 or more counts but less than 34 counts, ...	Nil	0·70
6	of 22 or more counts but less than 29 counts, ...	Nil	0·40
7	of 14 or more counts but less than 22 counts, ...	Nil	0·25
8	of less than 14 counts.	Nil	0·1

Provided that:—

- any twist, yarn or thread, on which duty has been paid at a rate specified in column (3) of the Table, is subsequently subjected to beaming, warping, wrapping, winding or reeling or any one or more of these processes with the aid of power: the twist, yarn or thread shall be liable to further duty at a rate equal to the difference between the rates of duty specified in respect of that yarn in column (4) and column (3) of the Table;
- no further duty shall be leviable on any twist, yarn or thread on which duty has already been paid at a rate specified in column (4) of the Table even if such twist, yarn, or thread is subsequently subjected to beaming, warping, wrapping, winding or reeling or any one or more of these processes with or without the aid of power,

- (c) nothing in this notification shall apply to any twist, yarn or thread which is used for weaving in a composite mill;
- (d) the duty on sized twist, yarn or thread shall be charged on the basis of its weight before sizing.

Explanation.—For the purposes of this notification:

- (i) the term 'hanks' shall mean hanks which do not contain more than 1000 metres of twist, yarn or thread in plain (straight) reel;
- (ii) "composite mill" means a manufacturer who is engaged in spinning of cotton twist, yarn or thread, or weaving of cotton fabrics or processing of cotton fabrics with the aid of power and has a proprietary interest in at least two of such manufacturing activities.

[No. 52/69.]

G.S.R. 339.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 35/67-Central Excises, dated the 26th May, 1967, the Central Government hereby exempts cotton twist, yarn and thread, falling under item No. 18A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), specified in column (2) of the Table below and used for weaving of fabrics in a composite mill, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

Sl. No.	Description	Rate
(1)	(2)	(3)
		Rs. per kilogram
	Cotton twist, yarn or thread	
1	Of 29 or more counts but less than 34 counts.	1.55
2	Of less than 29 counts.	0.60

Explanation.—For the purpose of this notification:

- (1) "composite mill" means a manufacturer who is engaged in spinning of cotton twist, yarn or thread or weaving or processing of cotton fabrics with the aid of power and has a proprietary interest in at least two of such manufacturing activities;
- (2) the duty on sized yarn shall be charged on the basis of its weight before sizing.

[No. 53/69.]

G.S.R. 640.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 86/67-Central Excises, dated the 26th May, 1967, the Central Government hereby exempts cotton twist, yarn and thread falling under item No. 18A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and used in the manufacture of—

- (a) belting, or
- (b) hose pipes.

by a manufacturer (as well as processor) thereof from so much of duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in column (4) of the Table contained in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 52/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969.

[No. 54/69.]

G.S.R. 641.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 81/67-Central Excises, dated the 26th May, 1967, the Central Government hereby exempts rayon and synthetic fibres and yarn falling under Item No. 18 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (2) of the TABLE hereto annexed, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty mentioned in the corresponding entry in column (3) thereof:—

THE TABLE

Sl. No.	Description	Duty
(1)	(2)	(3)
		(Rs. per kilogram)
1.	Staple fibre—	
	(i) of cellulosic origin	0.75
	(ii) of non-cellulosic origin:	
	(a) Acrylic fibre, ...	4.50
	(b) others	21.00
2.	Rayon and synthetic yarn consisting entirely of cellulose derivatives or regenerated cellulose or both—	
	(i) below 75 deniers	8.60
	(ii) 75 deniers and above but below 100 deniers	5.65
	(iii) 100 deniers and above but below 120 deniers	4.10
	(iv) 120 deniers and above but below 150 deniers	3.35
	(v) 150 deniers and above but below 350 deniers	2.85
	(vi) 350 deniers and above but not above 1100 deniers	2.50
	(vii) above 1100 deniers.	2.00
3.	Other synthetic yarns—	
	(a) Polyamide (Nylon) Yarn—	
	(i) below 30 deniers	22.50
	(ii) 30 deniers and above but below 75 deniers	21.00
	(iii) 75 deniers and above but below 99 deniers	18.00
	(iv) 90 deniers and above but below 150 deniers	15.00
	(v) 150 deniers and above but not above 750 deniers	6.00
	(vi) above 750 deniers.	3.00
	(b) Other than polyamide (Nylon) Yarn—	
	(i) below 30 deniers	28.50
	(ii) 30 deniers and above but below 75 deniers	24.75
	(iii) 75 deniers and above but below 100 deniers	15.00
	(iv) 100 deniers and above but not above 750 deniers	12.00
	(v) above 750 deniers.	3.00

Provided that in the case of manufacturers whose clearances of staple fibre of cellulosic origin, and of rayon and synthetic yarn mentioned against Serial number 2 of the TABLE above, taken together, for home consumption during the financial year 1966-67 did not exceed 36.5 lakh kilograms, the rates of duty per kilogram against Serial numbers 2(i), 2(ii), 2(iv) and 2(v), of the said TABLE shall, respectively be "Rs. 7.85", "Rs. 5.55", "Rs. 2.85" and "Rs. 2.55".

G.S.R. 642.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 24/65-Central Excises dated the 28th February, 1965, namely:

In the said notification against S.No. 8, in column (2), for the figures "20", the figures and bracket "20(1)" shall be substituted.

[No. 56/69.]

G.S.R. 643.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 the Central Government hereby exempts silk fabrics, falling under sub-item (2) of Item No. 20 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), which are damaged or sub-standard and are classified as "Chindies", that is to say, cut-pieces of silk fabrics which are 23 centimetres or less in length, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No. 57/69.]

G.S.R. 644.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts silk fabrics falling under sub-item (2) of Item No. 20 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), manufactured on machines, other than vertical type automatic shuttle embroidery machines, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No. 58/69.]

G.S.R. 645.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts silk fabrics falling under sub-item (2) of Item No. 20 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944, (1 of 1944) from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of 10 per cent *ad valorem*.

[No. 59/69.]

G.S.R. 646.—In exercise of the powers conferred under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Revenue Division) No. 33—dated the 23rd July, 1955, the Central Government hereby exempts woollen fabrics of 15 centimetres or less in width falling under sub-item (1) of Item No. 21 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from the whole of duty of excise leviable thereon.

[No. 60/69.]

G.S.R. 647.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 50/62-Central Excises, dated the 24th April, 1962, namely:—

In the said notification, for the expression "falling under Item No. 21", the expression "falling under sub-item (1) of Item No. 21" shall be substituted.

[No. 61/69.]

G.S.R. 648.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts woollen fabrics falling under sub-item (2) of Item No. 21 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), manufactured on machines, other than vertical type automatic shuttle embroidery machines, from so much of the duty as is in excess of the duty leviable on the base woollen fabrics before it is subjected to the process of embroidery.

[No. 62/69.]

G.S.R. 649.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts woollen fabrics falling under sub-item (2) of Item No. 21 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of—

- (i) the duty leviable on the base fabrics under the said First Schedule if not already paid, and
- (ii) 10 per cent. of the value of such fabrics calculated in accordance with the provisions of Section 4 of the aforesaid Act without allowing any abatement for the duty leviable on the base fabrics under the said First Schedule.

[No. 63/69.]

G.S.R. 650.—In pursuance of rule 96J of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 173/66 Central Excise, dated the 8th November, 1966, namely:—

In the said notification, for the figures “6.50” and “25.00”, the figures “12.00” and “50.00” shall, respectively, be substituted.

[No. 64/69.]

G.S.R. 651.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cotton fabrics falling under sub-item 1) of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944) manufactured on machines, other than vertical type automatic shuttle embroidery machines, from so much of the duty as is in excess of the duty leviable under the said First Schedule on the base cotton fabrics before it is subjected to the process of embroidery.

[No. 65/69.]

G.S.R. 652.—In pursuance of rule 96J of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 41/65-Central Excises, dated the 28th February, 1965, namely:

In the said notification—

- (1) for the existing Table, the following Table shall be substituted namely:—

THE TABLE

	If the duty is paid per quarter	If the duty is paid per year
	Rs.	Rs.
Where not more than 4 powerlooms are installed	13.00	50.00
Where more than 4 but not more than 24 powerlooms are installed .	40.00	150.00
Where more than 24 but not more than 49 powerlooms are installed.	80.00	300.00”

- (2) in the second proviso, for the expressions “Rs. 80” and “Rs. 300”, the expressions “Rs. 160” and “Rs. 600” shall, respectively, be substituted,

- (3) for Explanation 1, the following Explanation shall be substituted, namely:—

Explanation 1.—For the purpose of computing the period, the period from 1st March, 1969 to 31st May, 1969 (both days inclusive) shall be deemed to be the first quarter, the period from 1st March, 1969 to 28th February, 1970 (both days inclusive) shall be deemed to be the first year and any part of a quarter shall be deemed to be a full quarter.”

[No. 66/69.]

G.S.R. 653.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 111/65-C.E., dated the 24th July, 1965, the Central Government hereby exempts grey (un-processed) cotton fabrics specified in column (2) of the Table below from so much of the duty payable thereon under sub-item I (2) (f) of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) as is in excess of two paise per square metre.

THE TABLE

Sl. No.	Description
(1)	(2)
1	Cotton fabrics generally described as Malimo type fabric, or fabrics in which the warp and weft yarns are connected and fastened together by chain stitches barred against each other.
2	Non-woven bonded fabrics other than those specified in Sub-Item I(1) of Item No. 19 of the aforesaid Schedule, containing natural synthetic fibres or both held together by synthetic resin type of binding agents or by any other process

Provided that any fabrics, if processed with the aid of power, shall be liable to the same amount of duty which will for the time being be leviable on coarse fabrics similarly processed.

[No. 67/69.]

G.S.R. 654.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 31/62-Central Excise, dated the 24th April, 1962, the Central Government hereby exempts cotton fabrics (whether superfine, fine, medium A, medium B or coarse), known as round nosquito no. 11, with warp and weft but with no reeds and picks, from so much of the duty payable thereon under sub-item I (2) (f) of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) as is in excess of the duty for the time being leviable on superfine, fine, medium A, medium B or coarse fabrics, as the case may be.

[No. 68/69.]

G.S.R. 655.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cotton fabrics falling under sub-items I and II of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) which are damaged or sub-standard and are classified as "Chincous", that is to say, genuine normal cut-pieces of cotton fabrics which are 23 centimetres or less in length, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No. 69/69.]

G.S.R. 656.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cotton fabrics falling under sub-item I of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified below, from the whole of the duty of excise leviable thereon:—

- (i) Cotton fabrics intended for use in any textile printing, dyeing, bleaching or sizing process;
- (ii) Cotton drill, long cloth and Markin cotton fabrics intended for use in the coated abrasives industry;
- (iii) Cotton fabrics intended for use in the manufacture of cotton absorbent lint;
- (iv) Hosiery which is proved to the satisfaction of the Collector of Central Excise to be intended to be used in the making of hosiery garments;

- (v) Trimmings and cuttings of cotton fabrics which are not more than 7.5 centimetres in width if such trimmings and cuttings are intended for use in the manufacture of paper classifiable under Item No. 17 of the aforesaid Schedule;
- (vi) Indian National Flags;
- (vii) Surgical Absorbent Lint packed in packets of one half kilogram or less;
- (viii) Damaged or sub-standard cotton fabrics which are classified as "Rags" that is to say, cut pieces of cotton fabrics which are more than 23 centimetres but less than 92 centimetres in length;
- (ix) Cotton fabrics of not more than 15 centimetres in width;
- (x) Unprocessed cotton fabrics if manufactured on a handloom;
- (xi) Processed Khadi, that is to say, any cloth woven on handloom in India either wholly from cotton yarn or in admixture with silk and/or woollen yarn hand spun in India, which is certified as Khadi by an officer duly authorised in this behalf by the Khadi and Village Industries Commission;
- (xii) Unprocessed cotton hose pipes and belting woven as such;
- (xiii) Hosiery, that is to say, knitted fabrics, tubular or otherwise, in which single or a set of single or double yarn traverses continuously throughout the fabrics as a result of passing through all the needles of a circular of flat weft knitting machine;
- (xiv) Medium-B and Coarse fabrics which answer the description of "Dhoti", "Sarree", "Long Cloth", "Shirting", or "Drill" as defined from time to time by the Textile Commissioner under the Cotton Textile (Control) Order, 1948 and for which maximum ex-factory prices have been specified by the Textile Commissioner under the said Order;

Provided that no exemption under this notification shall be admissible—(a) to cotton fabrics referred to in Item Nos. (i) to (v) unless the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944 is followed in respect of such fabrics; (b) to the cotton fabrics referred to in Item No. (i) unless the fabrics are also fully used in the process of textile printing, dyeing, bleaching or sizing and cannot be put to further use as ordinary cloth.

[No. 70/69.]

G.S.R. 657.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cotton fabrics falling under sub-item II of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of—

- (i) the duty leviable on the base fabrics under the said First Schedule if not already paid, and
- (ii) 10 per cent of the value of such fabrics calculated in accordance with the provisions of Section 4 of the aforesaid Act without allowing any abatement for the duty leviable on the base fabrics under the said First Schedule.

[No. 71/69.]

G.S.R. 658.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India by the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 24/60-Central Excises, dated the 1st March, 1960, the Central Government hereby exempts cotton fabrics falling under sub-item I of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in

column (2) of the Table hereto annexed from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the amount specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:—

THE TABLE

Sl. No.	Description	Duty
(1)	(2)	(3)
(i)	Fents of coating, suiting, tussors, corduroy, gaberdine, bed-ford, satin, denim, lapet, lace, knitted fabric, tapestry, furnishing fabric including jacquered curtain cloth, gadlapet, mattress fabric, terry towelling cloth including turkish towelling cloth, blanket, canvas, duck, filter cloth, tracing cloth and bukram cloth.	Rs. per kilogram 4.00
(ii)	Fents of Superfine cotton fabrics—	
(a)	Grey	0.58
(b)	processed	2.28
(iii)	Fents of Fine cotton fabrics—	
(a)	grey	2.20
(b)	processed	1.10
(iv)	Fents of Medium-A fabrics—	
(a)	grey	Nil
(b)	processed	0.10
(v)	Fents of Medium-B fabrics—	
(a)	grey	Nil
(b)	processed other than bleached and/or dyed	0.10
(c)	bleached and/or dyed	Nil
(vi)	Fents of Coarse fabrics—	
(a)	grey	Nil
(b)	processed other than bleached and/or dyed	0.10
(c)	bleached and/or dyed	Nil
(vii)	Fents of cotton fabrics specified below :	
(a)	Cotton fabrics generally described as Mallimo type fabrics or fabrics in which the warp and weft yarn are connected and fastened together by chain stitches barred against each other (falling under Sub-item I (2) (f) of Item No. 19. of the aforesaid Schedule).	0.11
(b)	Non-woven bonded fabrics, other than those falling under item No. (i) and containing natural or synthetic fibres, or both, held together by synthetic resin type of binding agents or by any other process.	0.11

Explanation.—For the purposes of this notification, “fents” means genuine cut-pieces of cotton fabrics (including cut-pieces of dhotis and saris but excluding cut-pieces of towels) of 92 centimetres or more but not exceeding one and one-half metres in length and damaged cotton fabrics not exceeding one and one-half metres in length (excluding damaged towels of 92 centimetres and more).

G.S.R. 659.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts fents of the description specified in column (2) of the Table below, arising out of cotton fabrics manufactured on a handloom or produced by factories working under the special procedure laid down in Rule 96-I of the said rules and processed with the aid of power, from so much of the duty leviable thereon under sub-item I(2) of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) thereof.

THE TABLE

Sl. No. (1)	Description (2)	Duty (3)
		(Rs. per kilogram)
1	Fents of superfine fabrics	1.80
2	Fents of fine fabrics	0.90
3	Fents of medium-A fabrics.	0.08
4	Fents of medium-B and coarse fabrics .	
	(a) bleached and/or dyed	Nil
	(b) others.	0.08

[No. 73/69.]

G.S.R. 660—In pursuance of rule 96ZI of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 117/68-Central Excises dated the 14th May, 1968, the Central Government hereby fixes, the rate of duty per metre of the embroidery machine per shift at Rs. 9.50 if the aforesaid machine is employed for manufacturing embroidery in the piece, in strips or in motifs from cotton fabrics falling under sub-item I(2) of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944):

Provided that,—

- (1) the aforesaid rate of duty per metre length of such machine per shift shall be in addition to the duty leviable under sub-item I(2) of Item No. 19 of the aforesaid Schedule on the base fabrics used in the manufacture of embroidery in the piece, in strips or in motifs;
- (2) in respect of every such machine installed prior to the 1st January, 1955, the rate of duty per metre length of the machine per shift as specified above shall be reduced by twenty-five per cent

Explanation.—For the purposes of this notification “shift” means a period not exceeding eight hours working in a day, exclusive of rest interval, provided the work of the same kind is carried out by the same set of workers.

[No. 74/69.]

G.S.R. 661.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts processed rayon and artificial silk fabrics falling under sub-item (1) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944, (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of 3.5 paise per square metre.

Explanation.—For the purpose of this notification the expression “processed” means all processes which are ordinarily carried on with the aid of power or steam other than the process of calendering with plain rollers.

[No. 75/69.]

G.S.R. 662.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts rayon and artificial silk fabrics falling under sub-item (2) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), manufactured on machines, other than vertical type automatic shuttle embroidery machines, from so much of the duty as is in excess of the duty leviable on the base rayon or artificial silk fabrics before it is subjected to the process of embroidery.

[No. 76/69.]

G.S.R. 663.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts chindies of rayon or artificial silk fabrics falling under sub-item (2) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of duty of excise leviable thereon.

Explanation.—For the purpose of this notification “Chindies” means genuine normal cut-pieces, which are 23 centimetres or less in length.

[No. 77/69.]

G.S.R. 664.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts rayon and artificial silk fabrics falling under sub-item (2) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of—

- (i) the duty leviable on the base fabrics under the said First Schedule if not already paid, and
- (ii) 10 per cent. of the value of such fabrics calculated in accordance with the provisions of Section 4 of the aforesaid Act without allowing any abatement for the duty leviable on the base fabrics under the said First Schedule.

[No. 78/69.]

G.S.R. 665.—In pursuance of rule 96ZI of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby fixes with effect from the 1st March 1969, for embroidery machines utilised for manufacturing embroidery in the piece, in strips or in motifs from each variety of fabrics falling under sub-item (1) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and specified in column (2) of the Table below, the rate of duty specified in the corresponding entry in column (3) thereof.

THE TABLE

Sl. No.	Variety of base fabrics on which embroidery is made	Rate of duty per metre length of the machine per shift.
(1)	(2)	(3)
		Rs.
1	Nylon fabrics	19.00
2	Rayon fabrics	9.50

Provided that,

- (1) the aforesaid rate of duty per metre length of such machine per shift shall be in addition to the duty leviable under sub-item (1) of Item No. 22 of the aforesaid Schedule on the base fabrics used in the manufacture of embroidery in the piece, in strips or in motifs;
- (2) in respect of every such machine installed prior to 1st January, 1955 the rate of duty per metre length of the machine per shift as specified in the Table shall be reduced by 25 per cent.

Explanation.—For the purposes of this notification:—

- (i) "shift" means a period not exceeding eight hours working in a day, exclusive of rest interval, provided the work of the same kind is carried out by the same set of workers.
- (ii) "nylon fabrics" means fabrics falling under sub-item (1) of Item No. 22 of the aforesaid Schedule and manufactured either wholly or partly from nylon, provided that the fabrics containing 40 per cent. or more by weight of nylon and 60 per cent. or less by weight of rayon shall be deemed to be nylon fabrics.

[No. 79/69.]

G.S.R. 666.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Revenue Division), No. 5 Central Excises, dated the 23rd February, 1954, the Central Government hereby exempts rayon and artificial silk fabrics specified below and falling under sub-item (1) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty leviable thereon.

1. "Chindies", that is to say, *bona fide* cut pieces which are—
 - (a) 23 centimetres or less in length;
 - (b) more than 23 centimetres in length but which are not more than 7.5 centimetres in width;
2. "Rags", that is to say, *bona fide* cut pieces which are more than 23 centimetres but less than 92 centimetres in length;
3. "Fents", that is to say, *bona fide* cut pieces which are 92 centimetres or more but not exceeding 1.5 metres in length and which are damaged in the body of the fabric and not merely at the edges;
4. Fabrics of all kind not more than 30.5 centimetres in width;
5. The following articles if they are cut or made to *bona fide* retail sizes and are not more than 61 centimetres in length, namely:—
 - (a) Napkins,
 - (b) Tray Cloths,
 - (c) Handkerchiefs,
 - (d) Indian National Flags, and
 - (e) Book-binding cloth,
6. Fabrics manufactured on circular knitting machines,
7. Unprocessed fabrics,
8. Glass fabrics.

[No. 80/69.]

G.S.R. 667.—Whereas cotton fabrics and rayon or artificial silk fabrics impregnated or coated with preparations of cellulose derivatives or of other artificial plastic materials have been included in Items Nos. 19 and 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944, (1 of 1944) respectively, by the Finance Bill, 1969;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cotton fabrics and rayon and artificial silk fabrics, impregnated or coated with preparations of cellulose derivatives or of other artificial plastic materials, from the whole of the duty of excise leviable thereon under Item No. 22B of the said First Schedule.

[No. 81/69.]

G.S.R. 668.—Whereas embroidery in the piece, in strips or in motifs has been included in Items Nos. 19, 20, 21 and 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), by the Finance Bill, 1939;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts embroidery in the piece, in strips or in motifs from the whole of the duty of excise leviable thereon under Item No. 22C of the said First Schedule.

[No. 82/69.]

G.S.R. 669.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts processed Khadi, (that is to say any cloth woven on handloom in India either wholly from woollen yarn or in admixture with cotton and/or silk yarn, hand spun in India, which is certified as Khadi by an officer duly authorised in this behalf by the Khadi and Village Industries Commission), from the whole of the duty of excise leviable thereon under sub-item (1) of Item No. 21 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

[No. 83/69.]

G.S.R. 670.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts all varieties of (a) sugar, (b) tobacco, (c) woollen fabrics falling under sub-item (1) of Item No. 21 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 and (d) rayon and artificial silk fabrics falling under sub-item (1) of Item No. 22 of the aforesaid First Schedule which are for the time being wholly exempt from the duty of excise leviable thereon under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the additional duty of excise leviable thereon under the first mentioned Act.

[No. 84/69.]

G.S.R. 671.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of Section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 116/62 dated the 13th June, 1962 namely, :—

In the said notification, for the words “processed woollen fabrics”, the words, brackets and figures “processed woollen fabrics falling under sub-item (1) of Item No. 21 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)” shall be substituted.

[No. 85/69.]

G.S.R. 672.—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Second Amendment) Rules, 1969,

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in rules 96-I and 96-J, for the expression “cotton fabrics” wherever it occurs, the expression “cotton fabrics falling under sub-item I(2) of Item No. 19 of the First Schedule to the Act” shall be substituted.

[No. 86/69.]

G.S.R. 673.—In pursuance of rule 96ZI of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby fixes, the rate of duty per metre of embroidery machine per shift at Rs. 19 if such machine is utilized for manufacturing embroidery in the piece, in strips or in motifs from woollen fabrics falling under sub-item (1) of Item No. 21 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944:

Provided that,—

(1) the aforesaid rate of duty per metre length of such machine per shift shall be in addition to the duty leviable under sub-item (1) of Item No. 21 of the aforesaid First Schedule on the base fabrics used in the manufacture of embroidery in the piece, in strips or in motifs;

(2) in respect of every such machine installed prior to the 1st January, 1955, the rate of duty per metre length of the machine per shift as specified above shall be reduced by 25 per cent.

Explanation.—For the purposes of this notification “shift” means a period not exceeding eight hours working in a day, exclusive of rest interval, provided the work of the same kind is carried out by the same set of workers.

[No. 87/69.]

G.S.R. 674.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 41/68-Central Excises, dated the 1st March, 1968, the Central Government hereby exempts cotton fabrics falling under sub-item I(2) of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (2) of the First Table hereto annexed from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entries in column (3) thereof:

THE FIRST TABLE

S. No.	Description	Duty
(1)	(2)	(3)
		(Paise per square metre)
1.	<i>Cotton fabric, superfine</i>	
(a)	Grey (unprocessed), ...	7·0
(b)	Bleached or/and dyed but not printed, ...	22·0
(c)	Bleached or/and dyed and printed, ...	27·0
(d)	Mercerised or/and waterproofed, whether rot-proofed or not, (including rubberised) but not printed, ...	42·0
(e)	Mercerised or/and water-proofed, whether rot-proofed or not, (including rubberised) and printed, ...	47·0
(f)	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organic processed but not printed, ...	57·0
(g)	Processed in any other manner including shrink-proofed and /or organic processed and printed, ...	62·0
2.	<i>Cotton fabric, Fine</i>	
(a)	Grey (unprocessed), ...	6·0
(b)	Bleached or/and dyed but not printed, ...	21·0
(c)	Bleached or/and dyed and printed, ...	26·0
(d)	Mercerised or/and waterproofed, whether rot-proofed or not, (including rubberised) but not printed, ...	41·0

(1)	(2)	(3)
		(Paise per square metre)
(e)	Mercerised or/and water proofed, whether rot-proofed or not, (including rubberised) and printed, ...	46.0
(f)	Processed in any other manner including Shrink-proofed and/or organdie processed but not printed, ...	56.0
(g)	Processed in any other manner including Shrink-proofed and/or organdie processed and printed, ...	61.0
3. <i>Cotton fabric, Medium-A</i>		
(a)	Grey (unprocessed), ...	Nil
(b)	Bleached or/and dyed but not printed, ...	2.5
(c)	Bleached or/and dyed and printed, ...	5.0
(d)	Mercerised or/and water proofed, whether rot-proofed or not, (including rubberised) but not printed, ...	20.0
(e)	Mercerised or/and water proofed, whether rot-proofed or not, (including rubberised) and printed, ...	22.5
(f)	Processed in any other manner including Shrink-proofed and/or organdie processed but not printed, ...	35.0
(g)	Processed in any other including Shrink-proofed and/or organdie processed and printed, ...	37.5
4. <i>Cotton fabric, Medium-B</i>		
(a)	Grey (unprocessed), ...	Nil
(b)	Bleached or/and dyed but not printed, ...	Nil
(c)	Bleached or/and dyed and printed, ...	2.5
(d)	Mercerised or/and water proofed, whether rot-proofed or not, (including rubberised) but not printed, ...	10.0
(e)	Mercerised or/and water proofed, whether rot-proofed or not, (including rubberised) and printed, ...	12.5
(f)	Processed in any other manner including Shrink-proofed and/or organdie processed but not printed, ...	25.0
(g)	Processed in any other manner including Shrink-proofed and/or organdie processed and printed, ...	27.5
5. <i>Cotton fabric, Coarse</i>		
(a)	Grey (unprocessed), ...	Nil
(b)	Bleached or/and dyed but not printed, ...	Nil
(c)	Bleached or/and dyed and printed, ...	2.5
(d)	Mercerised or/and water proofed, whether rot-proofed or not, including rubberised) but not printed, ...	10.0
(e)	Mercerised or/and water proofed, whether rot-proofed or not, (including rubberised) and printed, ...	12.5

(1)	(2)	(3)
		(Paise per square metre)
(f)	Processed in any other manner including Shrink-proofed and/or organic processed but not printed	25.0
(g)	Processed in any other manner including Shrink-proofed and/or organic processed and printed	27.5

Provided that if duty has already been paid at a rate applicable to the varieties specified in column (2) of the Second Table, the fabrics specified in column (3) thereof shall be exempt from so much of the duty as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (4), column (5), column (6), or column (7), as the case may be, of the said Table.

THE SECOND TABLE

Serial No.	Variety of fabrics on entry into the factory	Variety of fabrics at the time of clearance from the factory on payment of duty.	Duty			
			Category A		Category B	
			In the case of fabrics made from grey fabrics which have not been manufactured in a composite mill and which have already paid duty or are exempted from duty, when processed by independent processor.		Others which do not fall under category A.	
			Handloom fabrics.	Other than handloom fabrics	Handloom fabrics	Other than handloom fabrics.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			(Paise per square metre)			
<i>Cotton Fabrics</i>						
1	(a) Grey (Superfine or Fine)	Bleached or/and dyed but not printed	8.0	14.0	10.0	15.0
	(b) Grey (Medium-A)	Bleached or/and dyed but not printed	1.5	1.5	2.5	2.5
	(c) Grey (Medium-B or Coarse)	Bleached or/and dyed but not printed	Nil	Nil	Nil	Nil
2	(a) Grey (Superfine or Fine)	Bleached or/and dyed and printed	13.0	19.0	15.0	20.0
	(b) Grey (Medium-A)	Bleached or/and dyed and printed	4.0	4.0	5.0	5.0
	(c) Grey (Medium-B or Coarse)	Bleached or/and dyed and printed	1.5	2.0	2.5	2.5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			(Paise per square metre)			
3	(a) Grey (Superfine or Fine) .	Mercerised or/and water proofed, whether rot-proofed or not (including rubberised), but not printed.	21 0	32 0	30 0	35 0
	(b) Grey (Medium-A) . . .	Mercerised or/and a water proofed, whether rot-proofed or not (including rubberised), but not printed.	14 0	17 0	20 0	20 0
	(c) Grey (Medium-B or Coarse)	Mercerised or/and water proofed, whether rot-proofed or not (including rubberised), but not printed	3 5	3 5	10 0	10 0
4	(a) Grey (Superfine or Fine) . . .	Mercerised or/and water proofed, whether rot-proofed or not (including rubberised) and printed.	29 0	37 0	35 0	40 0
	(b) Grey (Medium-A) . . .	Mercerised or/and water proofed, whether rot-proofed or not (including rubberised) and printed.	16 5	19 5	22 5	22 5
	(c) Grey (Medium-B or Coarse) .	Mercerised or/and water proofed, whether rot-proofed or not (including rubberised) and printed	5 5	6 0	12 5	12 5
5	(a) Grey (Superfine or Fine)	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed but not printed.	36 0	45 5	45 0	50 0
	(b) Grey (Medium-A) . . .	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed but not printed.	26 0	30 5	35 0	35 0
	(c) Grey (Medium-B or Coarse)	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed but not printed.	7 0	9 5	25 0	25 0
6	(a) Grey (Superfine or Fine) . . .	Processed in any other manner including shrink proofed and/or organdie processed and printed.	41 0	50 5	50 0	55 0
	(b) Grey (Medium-A)	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed and printed.	28 5	33 0	37 5	37 5
	(c) Grey (Medium-B or Coarse)	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed and printed.	9 5	12 0	27 5	27 5
7	(a) Bleached or/and dyed (Superfine or Fine)	Printed	5 0	5 0	5 0	5 0
	(b) Bleached or/and dyed (Medium-A) .	Printed	2 5	2 5	2 5	2 5
	(c) Bleached or/and dyed (Medium-B or Coarse).	Printed	1 5	2 0	2 5	2 5

8	(a) Bleached or/and dyed (Superfine or Fine)	Mercerised or/and water-proofed, whether rot-proofed or not (including rubberised), but not printed.	16.0	18.0	20.0	20.0
	(b) Bleached or/and dyed (Medium-A)	Mercerised or/and water-proofed, whether rot-proofed or not (including rubberised), but not printed.	12.5	15.5	17.5	17.5
	(c) Bleached or/and dyed (Medium-B or Coarse)	Mercerised or/and water-proofed, whether rot-proofed or not (including rubberised), but not printed.	3.5	3.5	10.0	10.0
9	(a) Bleached or/and dyed (Superfine and Fine).	Mercerised or /and water-proofed, whether rot-proofed or not (including rubberised) and printed.	21.0	23.0	25.0	25.0
	(b) Bleached or/and dyed (Medium-A)	Mercerised or/and water-proofed, whether rot-proofed or not (including rubberised) and printed.	15.0	18.0	20.0	20.0
	(c) Bleached or/and dyed (Medium-B or Coarse).	Mercerised or/and water-proofed whether rot-proofed or not (including rubberised) and printed.	5.5	6.0	12.5	12.5
10	(a) Bleached or/and dyed (Superfine or Fine).	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed but not printed.	28.0	31.5	35.0	35.0
	(b) Bleached or/and dyed (Medium-A)	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed but not printed.	24.5	29.0	32.5	32.5
	(c) Bleached or/and dyed (Medium-B or Coarse).	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed but not printed.	7.0	9.5	25.0	25.0
11	(a) Bleached or/and dyed (Superfine or Fine).	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed and printed.	33.0	36.5	40.0	40.0
	(b) Bleached or/and dyed (Medium-A)	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed and printed.	27.0	31.5	35.0	35.0
	(c) Bleached or/and dyed (Medium-B or Coarse).	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed and printed.	9.5	12.0	27.5	27.5
12	(a) Bleached or/and dyed and printed (Superfine or Fine)	Mercerised or/and water-proofed, whether rot-proofed or not (including rubberised).	16.0	18.0	20.0	20.0
	(b) Bleached or/and dyed and printed (Medium-A)	Mercerised or/and water-proofed whether rot-proofed or not (including rubberised).	12.5	15.5	17.5	17.5
	(c) Bleached or/and dyed if printed (Medium-B or Coarse).	Mercerised or/and water-proofed, whether rot-proofed or not (including rubberised).	4.0	4.0	10.0	10.0
13	(a) Bleached or/and dyed and printed Super fine or fine	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed.	28.0	31.5	35.0	35.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				(Paise per square metre)		
	(b) Bleached or/and dyed and printed (Medium-A)	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed,	24·5	29·0	32·5	32·5
	(c) Bleached or/and dyed and printed (Medium-B or Coarse).	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed	8·0	10·0	25·0	25·0
14	(a) Mercerised or/and water proofed, whether rot-proofed or not (including rubberised) but not printed (Superfine or fine).	Printed.	5·0	5·0	5·0	5·0
	(b) Mercerised or/and water proofed, whether rot-proofed or not (including rubberised) but not printed Medium-A),	Printed.	2·5	2·5	2·5	2·5
	(c) Mercerised or/and water proofed, whether rot-proofed or not (including rubberised) but not printed (Medium-B or Coarse)	Printed.	2·5	2·5	2·5	2·5
15	(a) Mercerised or/and water proofed, whether rot-proofed or not, (including rubberised) but not printed (Superfine or Fine).	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed but not printed.	12·0	13·5	15·0	15·0
	(b) Mercerised or/and water proofed, whether rot-proofed or not (including rubberised) but not printed (Medium-A).	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed but not printed.	12·0	13·5	15·0	15·0
	(c) Mercerised or/and water proofed, whether rot-proofed or not, (including rubberised) but not printed (Medium-B or Coarse).	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed but not printed.	3·5	6·0	15·0	15·0
16	(a) Mercerised or/and water-proofed whether rot-proofed or not (including rubberised) but not printed (Superfine or Fine).	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed and printed.	17·0	18·5	20·0	20·0

	(b) Mercerised or/and water-proofed whether rot-proofed or not (including rubberised) but not printed (Medium-A),	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed and printed.	14.5	16.0	17.5	17.5
	(c) Mercerised or/and water-proofed whether rot-proofed or not (including rubberised) but not printed (Medium-B or Coarse),	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed and printed.	6.0	8.5	17.5	17.5
17	(a) Mercerised or/and water-proofed, whether rot-proofed or not, (including rubberised) and printed (Superfine, Fine or Medium-A),	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed.	12.0	13.	15.0	15.0
	(b) Mercerised or/and water-proofed, whether rot-proofed, or not, (including rubberised) and printed (Medium-B or Coarse)	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed.	4.0	6.0	15.0	15.0
18	(a) Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed but not printed (Superfine or Fine.	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed and printed.	5.0	5.0	5.0	5.0
	(b) Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed but not printed (Medium-A, Medium-B or Coarse).	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed and printed.	2.5	2.5	2.5	2.5
19	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed but not printed.	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed but not printed.	Nil.	Nil.	Nil.	Nil.
20	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed and printed.	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed.	Nil.	Nil.	Nil.	Nil.

Provided further that:—

- (a) the rates of duty on grey superfine and fine fabrics produced on power-looms in one or more factories under the same proprietorship in which not more than 300 powerlooms in all are installed shall be one-half of the appropriate rates as aforesaid;
- (b) in the case of fabrics—
 - (i) which are classifiable under sub-item I(2)(f) of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944);
 - (ii) which have not been manufactured in a composite mill; and
 - (iii) on which duty has already been paid, when processed, the rate of duty shall be the same as prescribed under the first proviso for superfine, fine, medium-A, medium-B or coarse category of cotton fabrics as the case may be, if the arithmetical weightage average count of the fabrics is 48s or more, 35s or more but less than 48s, 26s or more but less than 35s, 17s or more but less than 26s or less than 17s, respectively.

Explanation I:

This notification shall apply also to cotton fabrics produced on powerlooms by any person who had, at any time during the period beginning from the 28th day of February, 1965 and ending with the 28th February, 1966 (both days inclusive), applied in pursuance of rule 174 or other relevant provisions of the Central Excise Rules, 1944—

- (a) for a licence for the first time to manufacture cotton fabrics on power-looms, or
- (b) for amendment of any licence issued before the 28th day of February, 1965 for the manufacture of such fabrics so as to affect a change in the number of powerlooms or the location of the factory or ownership of the powerlooms as specified in the licence, whether after obtaining the permission of the Textile Commissioner therefor or not.

Explanation II:

For the purposes of this notification:—

- (1) the following processes will not be treated as processing, namely:—
 - (a) processing without the aid of power or steam provided that the fabric so treated is not subjected to any further process [including any of those mentioned in items (b) to (k) of this clause] when conducted with the aid of power or steam except where the fabric is subjected to the process of calendering (other than calendering with grooved rollers) in a factory engaged solely in such process.
 - (b) calendering (other than calendering with grooved rollers),
 - (c) flannelite raising,
 - (d) stentering,
 - (e) damping on grey and bleached sorts,
 - (f) back-filling on grey and bleached,
 - (g) singeing, that is to say, burning away of knots and loose ends in the fabric,
 - (h) securing, that is to say, removing yarn-size and natural oil found in cotton,
 - (i) cropping or butta-cutting,
 - (j) curing or heat-setting, and
 - (k) padding;

(2) "composite mill" means a manufacturer who is engaged in spinning of cotton twist, yarn or thread or weaving or processing of cotton fabrics with the aid of power and has a proprietary interest in at least two of such manufacturing activities;

(3) "independent processor" means a manufacturer who is engaged exclusively in the processing of cloth with the aid of power and who has no proprietary interest in any factory engaged in the spinning of yarn or weaving of cotton fabrics;

(4) "Handloom fabrics" means cotton fabrics made from cotton yarn other than hand-spun cotton yarn and woven on looms worked by manual labour;

(5) "shrink-proofed fabrics" means cotton fabrics which are ordinarily marketed as such as which have been subjected for this purpose, to any special mechanical process or chemical treatment;

(6) Bleached or/and dyed or/and printed fabrics, if received into a factory for being water-proofed (including rubberised), shall be deemed to be, and to have always been, duty paid.

[No. 88/69.]

G.S.R. 675.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of Section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts cotton fabrics, falling under sub-item I(1) of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), when processed from grey fabrics on which appropriate duty has been paid, from so much of the duty of excise leviable thereon as has already been paid on such grey fabrics.

[No. 89/69.]

G.S.R. 676.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cotton fabrics, falling under sub-item I(1) of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), when processed from grey fabrics on which appropriate duty has been paid, from so much of the duty of excise leviable thereon as has already been paid on such grey fabrics.

[No. 90/69.]

G.S.R. 677.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of Section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 5/58 dated the 11th January, 1958, the Central Government hereby exempts cotton fabrics and silk fabrics of the description specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the Items, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the first mentioned Act as is in excess of the duty specified and subject to the conditions laid down in the corresponding entries in columns (4) and (5) respectively of the said Table:—

THE TABLE

Sr. No.	Item No. of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)	Description	Duty	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sub-items I and II of Item No. 19.	Damaged or sub-standard cotton fabrics which are classified as "Chindies", that is to say, genuine normal cut-pieces of cotton fabrics which are 23 centimetres or less in length.	Nil.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. 19.I	Cotton fabrics intended for use in any textile grunting, dyeing, bleaching or sizing process.	Nil.		If the procedure set out in Chapter X of the aforesaid rules is followed in respect of such fabrics and the fabrics are also fully used in the process of textile printing, dyeing, bleaching or sizing and cannot be put to further use as ordinary cloth.
3. 19.I	Cotton drill, long cloth and Markin cotton fabrics.	Nil.		If the fabrics are intended for use in the coated abrasives industry and the procedure set out in Chapter X of the aforesaid rules is followed in respect of such fabrics.
4. 19.I	Cotton fabrics.	Nil.		If intended for use in the manufacture of cotton absorbent lint and the procedure set out in Chapter X of the aforesaid rules is followed in respect of such fabrics.
5. 19.I	Hosiery	Nil.		If it is proved to the satisfaction of Collector of Central Excise to be intended for being used in the making of hosiery garments and the procedure set out in Chapter X of the aforesaid rules is followed in respect of such fabrics.
6. 19.I	Trimnings and cuttings of cotton fabrics which are not more than 7.5 centimetres in width.	Nil.		If such trimmings and cuttings are used in the manufacture of paper falling under Item No. 17 of the aforesaid Schedule and the procedure set out in Chapter X of the said rules is followed in respect of such fabrics.
7. 19.I	Indian National Flag.	Nil.		
8. 19.I	Surgical absorbent lint.	Nil.		If packed in packets of one-half kilogram or less.
9. 19.I	Damaged or substandard cotton fabrics which are classified as rags, that is to say, cut-pieces of cotton fabrics which are more than 23 centimetres but less than 92 centimetres in length.	Nil.		
10. 19.I	Cotton fabrics of not more than 15 centimetres in width.	Nil.		
11. 19.I	Cotton fabrics manufactured on a handloom.	Nil.		
12. 19.I	Khadi, that is to say, any cloth woven on a handloom in India either wholly from cotton yarn or in admixture with silk or woollen yarn, hand spun in India.	Nil.		If the fabrics are certified as Khadi by an officer duly authorised in this behalf by the Khadi and Village Industries Commission.
13. 19.I	Unprocessed cotton hose pipes and belting woven as such.	Nil.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	19.I	Hosiery, that is to say, knitted fabrics tubular or otherwise, in which single or a set of single or double yarn traverses continuously throughout the fabrics as a result of passing through all the needles of a circular or flat <i>weft</i> knitting machine.	Nil.	
15.	19.I(2)	Cotton fabrics manufactured on powerlooms.	Nil.	If such fabrics are manufactured in powerlooms and the manufacturer has been allowed to discharge his liability for duty on unprocessed cotton fabrics leviable on such fabrics by paying the amount fixed under rule 96J of the aforesaid rules.
16.	19.I(2) (f)	Round mosquito nettings with warp and weft but with no reeds and picks.	Duty in excess of the duty leviable on fine, medium-A, medium-B, and coarse cotton fabrics if the average count of yarn of the round mosquito nettings, determined by calculating the arithmetical average of the counts of grey yarn used as warp and weft in weaving is 35s or more but is less than 48s, 26s or more but is less than 35s, 17s or more but is less than 26s or less than 17s, respectively.	
17.	19.I(2)	Unprocessed cotton fabrics manufactured on powerlooms—		If manufactured in one or more factories under the same proprietorship in which not more than 300 powerlooms in all are installed.
		(a) Superfine	one-half of the duty leviable thereon under the first mentioned Act.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(b) Fine	One-half of the duty leviable thereon under the first mentioned Act.	}
		(c) Medium-A	Two-thirds of the duty leviable under the first mentioned Act.	
		(d) Medium-B	Two-thirds of the duty leviable under the first mentioned Act.	
		(e) Coarse	Two-thirds of the duty leviable under the first mentioned Act.	
18.	19.I(2)	Processed cotton fabrics.	Nil.	If manufactured from grey fabrics on which duty, if any, leviable under the first mentioned Act is already paid.
19.	19.I(2)(f)	Cotton fabrics generally described as Malimo type fabrics or fabrics in which the warp and weft yarns are connected and fastened together by chain stitches barred against each other.	7.2 paise per square metre.	
20.	19.I(2)(f)	Non-woven bonded fabrics containing natural or synthetic fibres or both held together by synthetic resin type of binding agents or by any other process.	7.2 paise per square metre.	
21.	19.I(1)	Fents of cotton fabrics.	20 paise per kilogram.	
22.	19.I(2)	Fents of cotton fabrics :		
		(a) Superfine	22 paise per kilogram.	
		(b) Fine	22 paise per kilogram.	
		(c) Medium-A	4.4 paise per kilogram.	
		(d) medium-B	4.4 paise per kilogram.	
		(e) Coarse	4.4 paise per kilogram.	
		(f)(i) Fents of cotton fabrics generally described as Malimo type of fabrics in	4.4 paise per kilogram.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		which the warp and weft yarns are connected and fastened together by chain stitches barred against each other.		
	(ii)	Non-woven bonded fabrics containing natural or synthetic fibres or both held together by synthetic resin type of binding agents or by any other process.	4.4 paise per kilogram.	
13.	19	Cotton fabrics.	Nil	If exported outside India and no duty is payable thereon under the second mentioned Act.
24.	20	Silk fabrics.	Nil.	

Explanation :— For the purposes of this notification, "fents" mean genuine cut-pieces of cotton fabrics (including cut-pieces of dhotis and sarees but excluding cut-pieces of towels) of 92 centimetres or more but not exceeding 1.5 metres in length and damaged cotton fabrics not exceeding 1.5 metres in length (excluding damaged towels of 92 centimetres and more).

[No. 91/804]

G.S.R. 678.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of Section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby rescinds—

(a) the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), namely:—

- (1) No. 25/60-Central Excises dated the 1st March, 1960,
- (2) No. 48/64-Central Excises dated the 1st March, 1964,
- (3) No. 83/64-Central Excises dated the 4th April, 1964,
- (4) No. 44/65-Central Excises dated the 28th February, 1965,
- (5) No. 79/65-Central Excises dated the 22nd May, 1965,
- (6) No. 112/65-Central Excises dated the 24th July, 1965,
- (7) No. 115/65-Central Excises dated the 24th July, 1965,

(b) the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), namely:—

- (1) No. 159/66-Central Excises dated the 8th October, 1966,
- (2) No. 79/68-Central Excises dated the 18th April, 1968,
- (3) No. 81/68-Central Excises dated the 18th April, 1968.

[No. 92/804]

G.S.R. 679.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 the Central Government hereby rescinds—

(a) the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), namely:—

- (1) No. CER-8(28)/56-Central Excises dated the 5th January, 1957,
- (2) No. 29/57-Central Excises dated the 4th May, 1957,
- (3) No. 54/57-Central Excises dated the 6th July, 1957,
- (4) No. 56/57-Central Excises dated the 6th July, 1957,
- (5) No. 47/62-Central Excises dated the 24th April, 1962,
- (6) No. 51/62-Central Excises dated the 24th April, 1962,
- (7) No. 147/62-Central Excises dated the 5th July, 1962,

- (8) No. 89/65-Central Excises dated the 5th June, 1965, and
 (9) No. 114/65-Central Excises dated the 24th July, 1965,
 (b) the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), namely:—
 (1) No. 153/66-Central Excises dated the 1st October, 1966,
 (2) No. 166/66-Central Excises dated the 15th October, 1966,
 (3) No. 199/67-Central Excises dated the 1st September, 1967,
 (4) No. 241/67-Central Excises dated the 28th October, 1967,
 (5) No. 77/68-Central Excises dated the 18th April, 1968,
 (6) No. 78/68-Central Excises dated the 18th April, 1968,
 (7) No. 80/68-Central Excises dated the 18th April, 1968,
 (8) No. 87/68-Central Excises dated the 30th April, 1968, and
 (9) No. 89/68-Central Excises dated the 30th April, 1968,

[93/69.]

K. NARASINHAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1969

सां. कां. निं. 680—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अधिसूचनाएं एतद्वारा विध्वंसित करती है, यर्थात्:—

(1) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) को निम्नलिखित अधिसूचनाएं, यर्थात्:—

- (i) तारीख 6 जुलाई, 1963 की सं. 116/63—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क ;
 - (ii) तारीख 1 मार्च, 1964 की सं. 44/64—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क ;
 - (iii) तारीख 1 मार्च, 1964 की सं. 64/64—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क ; तथा
- (2) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 15 नवम्बर, 1967 की सं. 252/67 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क ।

[सं. 16/69]

सां. कां. निं. 681.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की उन अधिसूचनाओं में, जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उस सारणी के स्तम्भ (3) की तत्समानी

प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट अभिव्यक्तियों के (उक्त अधिसूचनाओं में वे जहाँ भी आई हैं) स्थान पर वे अभिव्यक्तियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी जो उसके स्तम्भ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना की तारीख और संख्याएँ	निम्नलिखित के स्थान पर	निम्नलिखित रखें
1	2	3	4
1.	तारीख 28 फरवरी, 1965 की सं० 24/65-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क	“मूल्य का 95 प्रतिशत” “मूल्य का 65 प्रतिशत” “मूल्य का 35 प्रतिशत” “20 रु० प्रति क्विंटल”	जो मद सं० 11 (2) के सामने है तदेव तदेव जो मद सं० 13 के सामने हैं
2.	तारीख 6 जून, 1966 की सं० 92/66-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क	“सेटीमेट थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर के प्रति किलो-लिटर पर 165.25 रु०”	“सेटीमेट थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर के प्रति किलोलिटर पर 205.25 रु०।”
3.	तारीख 9 जुलाई, 1966 की सं० 112/66 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क	“ग्रामोफोन या रेकार्ड प्लेयर”	“ग्रामोफोन, रेकार्ड प्लेयर, रेकार्ड बजाने के डेक या रेकार्ड बदलने के डेक”
4.	तारीख 16 जुलाई, 1968 की सं० 119/66-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क	“(1944 का 1)”	“(1944 का 1) और उक्त मद सं० 26क की उपमद (1क) के अन्तर्गत आने वाले ताम्र तथा ताम्रमिश्रों के तार के सरिए, तार की छड़ें और इसी वस्तुएं।”

1	2	3	4
5. तारीख 14 जून, 1967 की सं० 120/67- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क	“(1944 का 1)”	“(1944 का 1) और उक्त मद सं० 27 की उपमद (कक) के अन्तर्गत माने वाले अलमोनियम के तार के सरिए, तार की छड़ें और डबी वस्तुएं”	“(1944 का 1) और उक्त मद सं० 27 की उपमद (कक) के अन्तर्गत माने वाले अलमोनियम के तार के सरिए, तार की छड़ें और डबी वस्तुएं”
	“यदि ऐसा अपरि- ष्कृत अलमोनियम”	“यदि ऐसा अपरिष्कृत अलमोनियम या ऐसे अलमोनियम के तार के सरिए, तार की छड़ें डबी वस्तुएं”	
6. तारीख 30 जून, 1967 की सं० 128/67-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, 1	“40 प्रतिशत”	“26 प्रतिशत”	
7. तारीख 15 नवम्बर, 1967 की सं० 128/67-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क	“11.09 रु० प्रति क्विंटल से अधिक हो”	“11.07 रु० प्रति क्विंटल के बराबर हो”	
8. तारीख 1 मार्च, 1968 की सं० 25/68- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क	“तीन रुपए” “एक रुपया”	“एक रुपया और पचास पैसे” “पचास पैसे”	

[सं० 17/69]

सा० का० वि० 682.-अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1 के अन्तर्गत माने वाली, और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ब) के अधीन बेची जाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित चीनी को, उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से एतद्वारा छूट देती है जितना कि उक्त आवश्यक वस्तु अधिनियम, की धारा 3 की उपधारा 3(ग) के अधीन ऐसी चीनी के लिए उस के उत्पादक को देय कीमत के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित कीमत के आधार पर परिकलित शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क से अधिक हो :

परन्तु शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क (यदि कोई हो) की पूर्णतः कीमत में जोड़ी गई मात्रा वही कीमत के आधार पर शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क परिकलित करने के पूर्व घटा दी जाएगी।

[सं० 18/69]

सं० का० नि० 683.—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 92-ख के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की उन अधिसूचनाओं में, जो नीचे सारिणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उस सारिणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट अंकों के स्थान पर उनके सामने उसके स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

सारिणी

क्रम सं०	अधिसूचना की तारीख और सं०	निम्नलिखित के स्थान पर	निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो
(1)	(2)	(3)	(4)
1	तारीख 15 अप्रैल, 1967 की सं० 57/67— केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क	"550" "730" "1100" "1460"	"730" "970" "1470" "1950"
2	तारीख 15 अप्रैल, 1967 की सं० 58/67— केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क	"820" "1100" "1640" "2190"	"1090" "1470" "2190" "2920"

[सं० 19/69]

सं० का० नि० 684.—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 15 नवम्बर, 1967 की अधिसूचना सं० 255/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को अतिरिक्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1 के अन्तर्गत आने वाली खंडसारी नमक को उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उसने भाग से एतद्वारा छूट देती है जो उसके मूल्य के ढाई प्रतिशत से अधिक हो।]

[सं० 20/69]

सा० का० नि० ६८५.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, १९४४ के नियम ८ के उपनियम (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ (१९४४ का १) की प्रथम अनुसूची की मद सं० १ क की उपमद (१) के अंतर्गत आने वाली कनफेशनरी को उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है जितना कि बीस पैसे प्रति किलोग्राम से अधिक हो ।

[सं० २१/६९]

सा० का० नि० ६८६.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, १९४४ के नियम ८ के उपनियम (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ (१९४४ का १) की प्रथम अनुसूची की मद सं० १ ब के प्रतीत आने वाले उत तैयार किए गए या परिरक्षित खाद्यों का, जो इस उत्पाद प्रसूची में विनिर्दिष्ट खाद्यों से मिले हैं, उन पर उद्ग्रहणीय पूर्ण उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है ।

अनुसूची ।

१. मांस, मांस-श्रेय और जीवजंतुओं के सफ़िर की ससिज तथा तरलदुध निमित्तियाँ ;
२. अन्य तैयार किया गया या परिरक्षित मांस या मांस-श्रेय ;
३. मांस-निष्कर्ष और मांस-रस ;
४. तैयार की गई या परिरक्षित मछली, जिनके अंतर्गत कविवर और कविवर के प्रतिस्वामी आते हैं ;
५. कस्टेसियन और मोलस्क, जो तैयार किए गए या परिरक्षित हों ;
६. सूप और द्राव, जो द्रव, घन या पाउडर के रूप में हों ;
७. फल और शाक, जो चीनी, नमक, बनारों या राई के साथ या उसके बिना तैयार किए गए या परिरक्षित हों ;
८. जाम, फलों की जेलियाँ, मार्मलेड, फल-पूरे, फल-पेस्ट, जो पका कर तैयार किए गए हों, चाहे उनमें चीनी मिलाई गई हो या नहीं ;
९. फलों के रस, शाकों के रस, चाहे वे किण्वित हों या नहीं और चाहे उनमें चीनी मिलाई गई हो या नहीं ;
१०. कार्नेफ्लेक, जई और सेम-बीज ।

[सं० २२/६९]

सा० का० नि० ६८७.—प्रतिरक्षित उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का ५८) की धारा ३ की उपधारा (३) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, १९४४ के नियम ८ के उपनियम (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि भारत सरकार के विन रजालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख २६ मई, १९६७ की अधिसूचना सं० १०५/६७—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से उपावद्ध सारणी में श्रेक "२०" और "११" के स्थान पर क्रमशः श्रेक "२३" और "१४" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० २३/६९]

सा० का० नि० 688—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केंद्रीय सरकार केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14 ज के अंतर्गत आने वाले तथा दत्त-शुल्क उर्वरकों के (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "आधारिक उर्वरक" कहा गया है) विनिर्मित उर्वरकों को उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से एतद् द्वारा छूट देती है जो आधारिक उर्वरक पर पहले ही दिए गए यथास्थिति, उत्पाद-शुल्क या भारतीय टैरिफ ऐक्ट, 1934 (1934 का 32) की धारा 2 क के अधीन अतिरिक्त शुल्क की रकम के बराबर हो :

परन्तु ऐसे उर्वरक, जिनके विनिर्माण में या के संबंध में कोई प्रक्रिया शक्ति की सहायता से नहीं की गई है और जो ऐसे आधारिक उर्वरकों से विनिर्मित हैं जिनमें से सब पर, यथास्थिति, उत्पाद-शुल्क या पूर्वोक्त अतिरिक्त शुल्क (यदि उद्ग्रहणीय हो) की समुचित रकम पहले ही दी जा चुकी हो, उस संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट-प्राप्त होंगे जो उन पर उद्ग्रहणीय हो ।

[सं 24/69]

सा० का० नि० 689.—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 3 फरवरी, 1968 की अधिसूचना सं० 11/68—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क को प्रतिष्ठित करने हुए केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 23 क के अंतर्गत आने वाली तथा विद्युत के प्रकाश-बल्बों तथा प्रतिस्पर्धित नलिकाओं के विनिर्माण के लिए प्रकल्पित कांच की पट्टिकाओं को उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से एतद् द्वारा छूट देती है ।

[सं 25/69]

सा० का० नि० 690.—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केंद्रीय सरकार केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26 के अंतर्गत आने वाली इस्पात की सिल्लियों को, उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से एतद् द्वारा छूट देती है, परन्तु यह तब जब कि ऐसी इस्पात की सिल्लियां विद्युत-आर्क भट्टियों की सहायता से और निम्नलिखित सामग्रियों में से किसी से या उन दोनों के संयोग से विनिर्मित हों, अर्थात् :—

(i) पुराना गलने वाला रद्दी लोहा या इस्पात ;

(ii) नया अप्रयुक्त गलने वाला रद्दी इस्पात, जिस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क (यदि उद्ग्रहणीय हो) की समुचित रकम दे दी गई हो ।

[सं 26/69]

सा० का० नि० 691.—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26 क के अंतर्गत आने वाले लोहे या इस्पात के उत्पादों को उन पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उतने भाग से एतद् द्वारा छूट देती है जो उक्त प्रथम अनुसूची की मद

सं० 26 के अंतर्गत आने वाली इस्पात की सिलिलियों पर तत्समय उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के बराबर] हो ; परन्तु यह तब जब कि ऐसे लोहे या इस्पात के उत्पाद विद्युत् आर्क मयियों की सहायता से और निम्नलिखित सामग्रियों में से किसी से या उन दोनों के संयोग से विनिर्मित हों, अर्थात् :—

- (i) पुराना गलने वाला रही लोहा या इस्पात ;
- (ii) नया अप्रयुक्त गलने वाला इस्पात, जिस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क (यदि उद्ग्रहणीय हो) की समुचित रकम दे दी गई हो ।

[सं० 27/69]

सा०का०नि० 692:—केंद्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केंद्रीय सरकार उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 30 के अंतर्गत आने वाले विद्युत् मोटरों, रोटरों और स्टेटरों को, उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पादन-शुल्क से उस दशा में एतद्द्वारा छूट देती है जब कि ऐसे विद्युत् मोटर, रोटर या स्टेटर उत्पादन के कारखाने में उन बिजली के पंखों के, जो उक्त अनुसूची की मद सं० 33 के अंतर्गत आते हैं और जिन पर संपूर्ण उत्पादन-शुल्क उद्ग्रहणीय है, विनिर्माण में संघटक पुर्जों के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं ।

[सं० 28/69]

सा०का०नि० 693:—केंद्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केंद्रीय सरकार उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 30 के अंतर्गत आने वाले विद्युत् मोटरों, रोटरों और स्टेटरों को, उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पादन-शुल्क से उस दशा में एतद्द्वारा छूट देती है जब कि ऐसे विद्युत् मोटर, रोटर या स्टेटर उत्पादन के कारखाने में उन शक्ति-चालित पंखों के, जो उक्त अनुसूची की मद सं० 30 के अंतर्गत आते हैं और जिन पर संपूर्ण उत्पादन-शुल्क उद्ग्रहणीय है, विनिर्माण में संघटक पुर्जों के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं ।

[सं० 29/69]

सा०का०नि० 694:—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 33 के अंतर्गत आने वाले उन शक्ति-चालित पंखों को, जिन पर संपूर्ण उत्पादन-शुल्क उद्ग्रहणीय है और जिनमें दत्त-शुल्क विद्युत् मोटर, रोटर या स्टेटर भगें हैं, उन पंखों पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है जो ऐसे विद्युत् मोटरों, रोटरों या स्टेटरों पर पहले ही दिए गए मर्यादित, उत्पाद-शुल्क या भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2 के अधीन अतिरिक्त शुल्क की रकम के बराबर हो ।

[सं० 30/69]

सा०का०नि० 695:—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केंद्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 14 अगस्त, 1965 की अधिसूचना सं० 124/65 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "मद सं० 33(3) या" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप कर दिया जाएगा ।

[सं० 31/69]

सा०का०नि० 696:—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केंद्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 16 सितम्बर, 1967 की अधिसूचना सं० 207/67—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में मद (i) तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)
“(i) 165.00 रु० से अधिक नहीं है—	
(क) यदि ऐसे औद्योगिक उपक्रम में विनिर्मित हो जिसे उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) लागू होता	7.50
(ख) अन्यो की दशा में	कुछ नहीं”

[सं० 32/69]

सा०का०नि० 697:—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केंद्रीय सरकार केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 33ग के अंतर्गत आने वाले उन घरेलू विद्युत् साधनों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट साधनों से भिन्न हों, उन पर उद्ग्रहणीय संसूण उत्पाद-शुल्क से एतद्वारा छूट देती है ।

अनुसूची

1. निर्वात स्वच्छक;
2. फर्श पर पालिश करने के साधन;
3. पीसने और मिलाने के साधन;
4. रस-निष्कर्षक;
5. फ्रीम ताइक और अंडा फेटने के साधन;
6. कपड़े धोने की मशीनें;
7. बर्तन धोने की मशीनें;

8. स्वचल समकारी लोहा, जिसमें ताप के स्वतः विनियमन की युक्ति लगी हो;
9. सब प्रकार के गीज़र;
10. जल के बायलर;
11. हजामत बनाने के साधन;
12. बाल सुखाने और उन्हें मोड़ने के साधन, स्थायी लहरें डालने वाले उपकरण तथा छल्ले डालने वाले संवर्धिका तापक;
13. मालिश के उपकरण;
14. केतलियाँ, रकबियाँ; वाष्पक काफी बनाने के साधन (जिनके अंतर्गत घरेलू किस्म के साधन आते हैं), कुकर, अंडे उबालने के साधन, कड़ाहियाँ;
15. टोस्टर;
16. हाटप्लेट, कुकिंगरेंज, ग्रिलर, उबालने की प्लेटें, प्लेटें गरम करने के साधन, भोजन गरम करने की ट्रे या ट्राली; भोजन गर्म रखने की केबिनटें;
17. काफी भूनने के उपकरण;
18. कमरों के तापक, जिनमें वायु-संचारण की युक्ति लगी हो;
19. आइसक्रीम चर्नर;
20. सब प्रकार के घरेलू चूल्हे।

[सं० 33/69]

सा० का० नि० 698.— केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मव सं० 33ग के अंतर्गत आने वाले उन घरेलू विद्युत् साधनों को, जिन पर संपूर्ण उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहणीय है और जिनमें दत्त-शुल्क विद्युत् मोटर, रोटरी या स्टेटर लगे हैं, उन साधनों पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है जो ऐसे विद्युत् मोटरों, रोटरी या स्टेटरों पर पहले ही दिए गए यथास्थिति, उत्पाद-शुल्क या भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2क के अधीन अतिरिक्त शुल्क की रकम के बराबर हो।

[सं० 34/69]

सा० का० नि० 699.—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 30 के अन्तर्गत आने वाले विद्युत् मोटरों, रोटरों और स्टेटरों को, उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से उस दशा में एतद्द्वारा छूट देती है जब कि ऐसे विद्युत् मोटर, रोटर या स्टेटर उत्पादन के कारखाने में उन घरेलू विद्युत् साधनों के, जो उक्त अनुसूची की मद सं० 33 ग के अन्तर्गत आते हैं और जिन पर सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क उपग्रहणीय है, विनिर्माण में संघटक पुर्जों के रूप में उपयोग में लाये जाते हैं ।

[सं० 35/69]

सा० का० नि० 700.—वित्त अधिनियम, 1968 (1968 का 19) की धारा 39 की उप-धारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) में वर्णित सब उत्पाद-शुल्क-योग्य माल को, उस पर उस धारा की उप-धारा (4) के अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना के साथ पठित उक्त उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष उत्पाद-शुल्क के उस भाग से एतद्द्वारा छूट देती है जो 1 मार्च, 1969 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाली कालावधि के सम्बन्ध में हो ।

[सं० 36/69]

सा० का० नि० 701.—वित्त अधिनियम, 1968 (1968 का 19) की धारा 39 की उप-धारा (4) के तथा वित्त विधेयक, 1969 के खंड 31 के उपखंड (4) के, जो खंड अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 1 मार्च, 1968 की अधिसूचना संख्या 24/68—केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क को प्रतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 27 के अन्तर्गत आने वाले और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अलमोनियम को, उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क और विशेष उत्पाद-शुल्क के उतने से जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में क्रमशः वर्णित है एतद्द्वारा छूट इन शर्तों के अध्वधीन देती है कि —

- (i) ऐसा अलमोनियम उसके विनिर्माता द्वारा बौक्साइट से या एलुमिना से या दोनों से विनिर्मित किया जाए, तथा
- (ii) उक्त विनिर्माता द्वारा पूर्वगामी वित्तीय वर्ष में किसी भी रूप में अलमोनियम की निकासी 12,500 मीटरी टन से अधिक न हो ।

सारणी

क्रम संख्या	वर्णन	निम्नलिखित की दरें	
		उत्पादन-शुल्क	विशेष उत्पाद-शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1	किसी अपरिष्कृत रूप में अलमोनियम, जो पूर्वोक्त मद सं० 27 की उपमद (क) के अन्तर्गत आता है ।	80.00 रु० प्रति मीटरी टन	संपूर्ण
2	अलमोनियम के तार के सरिए, तार की छड़ें और ढली बस्तुएं, जो पूर्वोक्त मद सं० 27 की उपमद (कक) के अन्तर्गत आती हैं ।	80.00 रु० प्रति मीटरी टन	संपूर्ण
3	पूर्वोक्त मद सं० 27 की उपमद (ख) के अन्तर्गत आने वाली अलमोनियम की विनिमित्तियां—		
	(क) अलमोनियम वृत जिनकी मोटाई 0.56 मिलीमीटर से अधिक किंतु 1.22 मिलीमीटर से अधिक है ।	80.00 रु० प्रति मीटरी टन	संपूर्ण
	(ख) अन्य अलमोनियम की विनिमित्तियां	कुछ नहीं	270.00 रु० प्रति मीटरी टन
4	अलमोनियम की चादर, पाइप और नलि-काएं तथा बहुवर्धित आकार और भाग, जो पूर्वोक्त मद सं० 27 की उपमद (खख), और (ग) और (घ) के अन्तर्गत आते हैं ।	कुछ नहीं	150.00 रु० प्रति मीटरी टन

- 2 इस अधिसूचना की कोई बात किसी ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) की तारीख 1 मार्च, 1969 की अधिसूचना संख्या 41/69—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क का फायदा उठाता है ।

[सं० 37/69]

श्री० का० नि० 702.—वित्त विधेयक, 1969 के खंड 31 के उपखंड (4) के, जो खंड अंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधिन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केंद्रीय

सरकार इस से उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इस में इस के परचान् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की उन मदों के जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, अंतर्गत आने वाले उत्पाद-शुल्क योग्य साल को, उस पर पूर्वोक्त खंड 31 के उपखंड (1) के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है जितना कि उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक हो, और यह छूट उन शनों के अध्याधीन है जो इस सारणी के स्तम्भ (5) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में दी गई हैं।

सारणी

क्रम सं०	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं०	वर्णन	तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क के प्रतिशत के रूप में शुल्क	शर्तें
----------	--	-------	--	--------

(1) (2) (3) (4) (5)

- | | | | | |
|---|------|--|----------|--|
| 1 | 3(1) | सब प्रकार की चाय (पैकेज चाय को छोड़ कर) | कुछ नहीं | |
| 2 | 6 | मोटर स्प्रिट | कुछ नहीं | |
| 3 | 8 | परिष्कृत डीजल तेल और वाष्पन तेल | कुछ नहीं | |
| 4 | 9 | डीजल तेल जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है | कुछ नहीं | |
| 5 | 13 | बनस्पति-उत्पाद | कुछ नहीं | |
| 6 | 14 | कृत्रिम रंजक द्रव्य (जिन के अंतर्गत वर्णक रंजक द्रव्य आते हैं और कृत्रिम रंजक द्रव्य जो किसी रंजक प्रक्रिया में उपयोग में आते हैं। | कुछ नहीं | |

(1) (2) (3) (4) (5)

7 15ख सेलोफेन कुछ नहीं

8 16 मोटर गाड़ियों के टायर, कुछ नहीं

किंतु केवल गृह-उपभोग के लिए पहली निकासी पर ही जो 1 अप्रैल, 1969 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाली (दोनों दिनों को सम्मिलित कर के) कालावधि के दौरान हो 1.25 करोड़ रुपयों के कुल मूल्य तक

यदि गृह उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष 1968-69 के दौरान विनिर्माता द्वारा निकासी किए गए मोटर गाड़ियों के टायरों का कुल मूल्य 4 करोड़ रुपयों से अधिक न रहा हो।

9 17 (3) छापने और लिखने का कुछ नहीं

कागज (जिसके अंतर्गत उसकी सब अविरंजित और आरंजित किस्में आती हैं किंतु अन्य रंगीन किस्में नहीं आती) जो 75 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से अधिक न हो।

यदि ऐसे कागज के निर्माण में लुगदी के रूप में चिथड़े न हों या यदि उस में कोई चिथड़ा हो तो उस में लुगदी के रूप में खोई, पटसन-बूत या धान्य-भूसा कम से कम 40 प्रतिशत हो।

स्पष्टीकरण— “लुगदी के रूप में चिथड़ा” पद के अंतर्गत पहनने के वस्त्रों के धिसे या फटे टुकड़ों के दूषित चिथड़ों से या कपड़े की दूषित धज्जियों से (जो निवास-गृहों से या गलियों से या मलबे के ढेरों से एकत्र की गई हों), या ऐसे पहनने के वस्त्रों के धिसे और फटे टुकड़ों से और कपड़े की दूषित धज्जियों से बनी लुगदी नहीं आती है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	18क	सब प्रकार का बटा हुआ	कुछ नहीं	
		सूती धागा या डोरा .		
11	23क	कांच और कांच की वस्तुएं,	कुछ नहीं	
		शीट व प्लेट के कांच		
		को छोड़ कर ।		
12	23ख	चीनी मिट्टी की वस्तुएं	कुछ नहीं	
		और पोर्सलिन की वस्तुएं		
13	28	टिन की पट्टिकाएं और	कुछ नहीं	
		चादरें जिनके अन्तर्गत		
		टिन के ट्रे की चाद		
		आती है , और ऐसी		
		पट्टिकाओं, चादरों, या		
		ट्रे की चादरों की		
		कतरने		
14	32(1)	निर्वात और गैसपूरित ,	कुछ नहीं	
		विद्युत प्रकाश/बलब,		
		जो 60 वाट से अधिक		
		के न हों, किंतु वाणि-		
		ज्यिक क्षेत्रों में "मिनि-		
		एचर बल्ब" कही जाने		
		वाली किस्म के बिजली		
		के जलाने के बल्बों को		
		छोड़कर ।		

[सं 38/69]

सा० का० नि० 703.—वित्त विधेयक, 1969 के खण्ड 31 उपखण्ड (4) के, जो खण्ड अंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केंद्रीय सरकार, इससे उपाबद्ध सारणी के साम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) को प्रथम अनुसूची को मद सं० 18 के अंतर्गत आने वाले सब उत्पाद-शुल्क-योग्य माल को, उस पर उक्त खण्ड 31 के उप खण्ड (1) के अधीन उद्वह्यग्राहणीय विशेष उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से एतद् द्वारा छूट देती है जितना कि उक्त सारणी के, यथास्थिति, स्तंभ (3) या स्तंभ (4) में की तत्स्थायी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक हो ।

सारणी

क्रम संख्या	वर्णन	शुल्क	
	उन विनिर्माताओं की दशा में जिनको रूई- उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष 1966-67 के दौरान सेलुलोसी उद्- भव के रेशा का तंतु की तथा पूर्णतः सेलुलोस व्युत्पादों के या पुनर्यो- जित सेलुलोस के या दोनों से मिला कर बने रेयन और संश्लिष्ट धागे की निकासी 36.5 लाख किलो- ग्राम से अधिक नहीं है अन्य वशाओं		
(1)	(2)	(3)	(4)
		(रु० प्रति किलोग्राम)	
1	कता धागा		
	(क) पूर्णतः सेलुलोसी उद्भव के संश्लिष्ट रेशा-तंतु का	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ख) भागतः ऐसे रेशों-तंतु का और भागतः सूत का, परन्तु धागे में सूत की मात्रा उसके भार की 40 प्रतिशत से अधिक न हों	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	रेयन और संश्लिष्ट धागा, जो पूर्णतः सेलुलोस व्युत्पादों के या पुनर्योजित सेलुलोस के या दोनों का बना है		
	(i) 75 दनैर से कम	2.50	2.80
	(ii) 75 दनैर और अधिक किंतु 100 दनैर से कम	1.75	1.75
	(iii) 100 दनैर और अधिक किंतु 120 दनैर से कम	1.15	1.15
	(iv) 120 दनैर और अधिक किंतु 150 दनैर से कम	0.90	1.00

1	(2)	(3)	(4)
(v) 150 दनैर और अधिक किन्तु 350 दनैर से कम	0.80	0.90	
(vi) 350 दनैर और अधिक किन्तु	कुछ नहीं	कुछ नहीं	

[सं० 39/69]

सा० का० नि० 704— वित्त विधेयक, 1969 के खण्ड 31 के उपखण्ड (4) के, जो खण्ड अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 17 (3) के अन्तर्गत आने वाले मिल बोर्ड तथा स्ट्रॉब्स को, उस पर उक्त खण्ड के उपखण्ड (1) के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण विशेष उत्पाद-शुल्क से एतद्वारा छूट देती है।

स्पष्टीकरण—

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ—

(1) 'मिल बोर्ड' से कोई ऐसा अविर्गजित समांगी गत्ता अभिप्रेत है जिसकी मोटाई 0.50 मिलीमीटर से अधिक है और जो छानन के सहित या बिना मिले जुले रई कागजों और मशीनी लुगड़ी से, उनमें कोई रंगने वाली वस्तु मिलाए गए बिना, बना है।

(2) 'स्ट्रॉब्स' से ऐसा गत्ता अभिप्रेत है जो संपूर्ण : या मुख्य रूप से भागत : पकाए गए अविर्गजित भूरे या खोई या घास या इनके सम्मिश्रण से बना है :
परन्तु यह तब जब कि—

(i) उपयोग में लाई गई किसी अन्य सामग्री की मात्रा संघटकों के कुल भार के एक तिहाई से अधिक न हो,

(ii) ऐसा गत्ता विशेष रूप से संपीड़ित न हो और उसकी किसी सतह पर कागज न लगा हो।

[सं 40/69]

सा० का० नि० 705— वित्त विधेयक, 1969 के खण्ड 31 के उपखण्ड (4) के, जो खंड अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 27 की उपमद (क) के अन्तर्गत आने वाले किसी अविष्कृत रूप के अलमोनियम को, (2) उक्त मद सं० 27 की उपमद (कक) के अन्तर्गत आने वाले अलमोनियम के तार के सरियों, तार की छड़ों और ठली वस्तुओं को, तथा

(3) उक्त मद सं० 27 की उपमद (ख) के अन्तर्गत आने वाली अलमोनियम की विनिर्मितियों को उन हर पूर्वोक्त खंड 31 के उपखंड (1) के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है जो 120.00 रुपये प्रति मीटरी टन की दर से उद्ग्रहणीय विशेष उत्पाद-शुल्क के बराबर हो।

2. इस अधिसूचना की कोई बात एसी अलमोनियम की विनिर्मितियों को लागू न होगी जिनके बारे में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 6 जुलाई, 1968 की अधिसूचना सं० 140/68 में दी गई छूट का फायदा उठाया जाए।

[सं० 41/69]

सा० का० नि० 706.—वित्त विधेयक, 1969 के खंड 31 के, जो अंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 और 12क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि जहां कि कोई माल उक्त खंड के अधीन विशेष उत्पाद-शुल्क के अध्वधीन किया गया हो और जहां कि ऐसे माल के निर्यात पर केन्द्रीय सरकार ने ऐसे माल पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन दिए गए उत्पाद शुल्क का रिबेट उक्त नियम 12 या 12क के अधीन निकाली गई अधिसूचना द्वारा अनुज्ञात किया हो, वहां सम्पूर्ण विशेष उत्पाद-शुल्क का भी रिबेट उन्ही शर्तों के अध्वधीन दिया जाएगा जिनसे उत्पाद-शुल्क का रिबेट शासित होता है।

[सं० 42/69]

सा० का० नि० 707.—वित्त विधेयक, 1969 के खंड 31 के उपखंड (4) के, जो खंड अंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार पूर्वोक्त विधेयक के खंड 31 के उपखंड (1) में निर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क योग्य उस माल को, जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन इस बात की अधिसूचना निकाली हो कि वह उतने उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त होगा, जो उसके विनिर्माण में उपयोग में लाए गए तथा सम्बन्धित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अन्य उत्पाद-शुल्क योग्य माल पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मध्यवर्ती उत्पाद" कहा गया है) पहले ही दिए गए उत्पाद शुल्क की रकम के बराबर हो, उस पर उद्ग्रहणीय विशेष उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है जो सम्बन्धित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती उत्पादों पर पहले ही दिए गए विशेष उत्पाद-शुल्क के बराबर हो।

[सं० 43/69]

सा० का० नि० 708.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 43 के अन्तर्गत आने वाली ऊन की पूनियों को, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है जितना कि दस पैसे प्रति किलोग्राम से अधिक हो।

[सं० 44/69]

सं० का० नि० 709.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 1 मार्च, 1963 की अधिसूचना संख्या 42/63—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की प्रव सं० 37 की उपमद 11 (2) के अन्तर्गत आने वाली और इससे उपायद्ध सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट उच्छन्न सिनेमा फिल्मों को, उनपर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है जितना कि सारणी के, यथास्थिति, स्तम्भ 3 या स्तम्भ 4 की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क से अधिक हो।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	30 मिली-मीटर से कम चौड़ी फिल्मों पर शुल्क की रकम	30 मिलीमीटर या अधिक चौड़ी फिल्मों पर शुल्क की रकम	
			यदि फिल्म 4000 मीटर से अधिक लम्बी न हो	यदि फिल्म 4000 मीटर से अधिक लम्बी हो
1	2	3	4(क)	4(ख)
		(र० प्रति मीटर)	(र० प्रति मीटर)	(र० प्रति मीटर)
1 कालो सफेद फिल्में				
1—केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणन के मास के ठीक पश्चात् के बारह मासों के भीतर, गृह-उपयोग के लिए निकासी की गई :—				
	(i) हर एक चित्र के प्रथम 12 फ़िट	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ii) हर एक चित्र के अगले 8 फ़िट	0.07	0.10	0.15
	(iii) हर एक चित्र के अगले 15 फ़िट	0.12	0.18	0.27
	(iv) हर एक चित्र के अगले 15 फ़िट	0.22	0.32	0.45
	(v) हर एक चित्र के अगले 25 फ़िट	0.33	0.45	0.55
	(vi) अतिशेष पर	0.45	0.60	0.70
2—केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणन के मास के ठीक पश्चात् के 12 मास के पश्चात् गृह-उपयोग के लिए निकासी की गई				
		कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

1	2	3	4(क)	4(ख)
2 रंगीन फिल्म				
1—केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणन के मास के ठीक पश्चात् के बारह मासों के भीतर, गृह-उपयोग के लिए निकासी की गई :—				
(i) हर एक चित्र के प्रथम 8 फ़िट		0.05	0.75	0.10
(ii) हर एक चित्र के अगले 12 फ़िट		0.10	0.15	0.20
(iii) हर एक चित्र के अगले 15 फ़िट		0.18	0.27	0.36
(iv) हर एक चित्र के अगले 15 फ़िट		0.33	0.48	0.64
(v) हर एक चित्र के अगले 25 फ़िट		0.50	0.67	0.90
(vi) अतिशेष पर		0.67	0.90	1.20
2—केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणन के मास के ठीक पश्चात् के 12 मास के पश्चात् गृह-उपयोग के लिए निकासी की गई				
		0.10	0.15	0.25

परन्तु यदि फिल्म भागतः सफेद-काली और भागतः रंगीन हो तो :—

- (i) सफेद काले तथा रंगीन हिस्सों का अलग अलग निर्धारण क्रमशः सफेद काली तथा रंगीन फिल्मों को ल गृ दगों से किया जाएगा ; तथा
- (ii) फिल्म की कुल लम्बाई (जिसमें सफेद-काली तथा रंगीन दोनों आती है) वह आधार होगी जिस पर यह अवधारित किया जाएगा कि प्रत्येक कोटि में निर्धारण ऊपर की सारणी के स्तम्भ 4(क) में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाना है या 4 (ख) में विनिर्दिष्ट दरों से ।

[सं० 45/69]

सा० का० नि० 110.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 17 नवम्बर 1962 की अधिसूचना संख्या 197/62 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं० 1 के सामने स्तम्भ 2 में—

- (1) “कास्टिक सोडा” प्रविष्टि के स्थान पर “कास्टिक सोडा चाहे वह धन रूप में हो या घोल रूप में” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;
- (2) “विजली के पंखे और पंखों के भाग अर्थात् संपूर्ण मोटर स्टेटर और रोटर” प्रविष्टि के स्थान पर “विजली के पंखे” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;

- (3) "ग्रामोफोन उनके पुर्जे और उपसाधन तथा ग्रामोफोन रेकडें" प्रविष्टि के स्थान पर "ग्रामोफोन जिनके अंतर्गत रेकडें प्लेयर आते हैं, रेकडें बजाने के डेक और रेकडें बदलने के डेक चाहे व मशीन से चलते हों या विद्युत् से उनमें चाहे ध्वनि पनरूपादन या प्रबर्धन की (ध्वनिक, इलेक्ट्रानिक या ट्रांजिस्टरित) अंतर्निर्मित प्रणाली हो या नहीं और उनके पुर्जे तथा उपसाधन जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं और सब प्रकार के ग्रामोफोन रेकडें" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;
- (4) कनफेशनरी और चाकलेट सम्बन्धी प्रविष्टि में "चाक लेट" शब्द के पश्चात् "जो प्रपुंज रूप में हो या" शब्द बढ़ा दिए जाएंगे ;
- (5) "टेक्सटाइल फेब्रिक जो सेलुलोस व्युत्पादों या अन्य प्लास्टिक सामग्रियों की विनिर्मितियों से गन्धित या विलेपित हैं "प्रविष्टि में अन्त में" और जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं" शब्द बढ़ा दिए जाएंगे ;
- (6) टुकड़ों पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा जिसके विनिर्माण में या के सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया मामूली तौर पर शक्ति की सहायता से की जाती है" प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा ;
- (7) अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी अर्थात् :—
 "तैयार किए गए और परिरक्षित खाद्य जो एकक आधानों में रखे गये हैं और मामूली तौर पर विक्रय के लिये आशयित है तथा अन्त विनिर्दिष्ट नहीं हैं । सब प्रकार के उर्वरक किन्तु प्राकृतिक जीवजंतु या वनस्पति उर्वरकों को जब उन पर रासायनिक अभिक्रिया न की गई हो छोड़ कर ।
 घरेलू विद्युत् साधन जो अन्य विनिर्दिष्ट नहीं है सिनेमा फिल्में—अनुच्छेद ।
 पैकिंग के चौर्य-रक्षित ठकने सब प्रकार के चाहे उनमें कार्क रबड़ पालीथीलीन या किसी अन्य सामग्री की अन्य फिटिंगें लगी हों या नहीं
 ऊन की पुनियां ।"

[सं० 46/69]

सा० का० नि० 111.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा अदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18 के अन्तर्गत आने वाले तथा पूर्वोक्त अनुसूची की मद सं० 10 की उपमद 1 (1) के अन्तर्गत आने वाले सूती फेब्रिक के विनिर्माण में उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित सूती धागे को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि उत्पादन के कारखाने से भिन्न स्थान में उत्पादित उक्त सूती धागे के बारे में पूर्वोक्त नियमों के अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए

[सं० 47/69]

सा० का० नि० 712.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 96ब के अनुसरण में तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 28 मई 1967 की अधिसूचना सं० 84/67-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को प्रतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निवेश देती है कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18क के अन्तर्गत आने वाले तथा इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सूती धागे के बारे में शुल्क की दर वह होगी जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है।

सारणी

क्रम संख्या	धागे का वर्णन	दर
(1)	(2)	(3)
		बनाए गए फेब्रिक के प्रति वर्ग मीटर पर पैसे
1.	सुपरफाइन फेब्रिक बनाने में उपयोग में लाया गया धागा	20.00
2.	फाइन फेब्रिक बनाने में उपयोग में लाया गया धागा	12.00
3.	मध्यम-क फेब्रिक बनाने में उपयोग में लाया गया धागा	6.60
4.	मध्यम-ख फेब्रिक बनाने में उपयोग में लाया गया धागा	4.40
5.	मोटे फेब्रिक बनाने में उपयोग में लाया गया धागा	2.20
6.	टुकड़ों, पट्टियों और अलग बने रूपों में कसीदा बनाने में उपयोग में लाया गया धागा	आधारिक फेब्रिक में लगे सूती धागे पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क यदि न दिया गया हो
7.	सेलुलोस व्युत्पादों या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्रियों की निमित्तियों से गमित या विलेपित फेब्रिक बनाने में उपयोग में लाया गया धागा	आधारिक फेब्रिक में लगे सूती धागे पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क यदि न दिया गया हो।

परन्तु यदि विनिर्माता पूर्वोक्त नियम 96 ब के विशेष उपबन्ध का फायदा उठाने का निर्वाचन करे तो उस नियम में इस निमित्त दी गई प्रक्रिया समान रूप से उस सब सूती धागे को लागू होगी जो ऊपर की सारणी में विनिर्दिष्ट है और जिसका उपयोग उसके द्वारा अपने का रखाने में सूती फेब्रिक के उत्पादन में किया जाए।

स्पष्टीकरण :—

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ :—

- (i). “आधारिक फेब्रिक” का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 में दिया गया है;

(ii) फैनिक में उपयोग में लाए गए धागे या श्रिसल काउंट उस फैनिक में उपयोग में लाए गए सभी धागे का काउंट समझा जाएगा ।

[सं० 48/69]

सा० का० नि० 713.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96ब के अनुसरण में तथा भारत सरकार के विस मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 24 जुलाई, 1965 की अधिसूचना सं० 113/65—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18क के अंतर्गत आने वाले सूती धागों के बारे में, जिसका उपयोग उस सूती फैनिक के विनिर्माण में किया जाए, जो साधारणतः मलिनो किस्म का कहा जाता है या वह फैनिक जिसमें ताने व बाने के धागे एक दूसरे को रोकते हुए जंजीरनुमा टांकों से आपस में जुड़े और बंध रहते हैं [जो पूर्वोक्त अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद I (2) (घ) के अंतर्गत आते हैं] शुल्क की दर विनिर्मित फैनिक के प्रति वर्ग मीटर पर 4.4 पैसे होगी ।

[सं० 49/69]

सा० का० नि० 714.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा भारत सरकार के विस मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 28 मई, 1967 की अधिसूचना सं० 87/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18क के अंतर्गत आने वाले सूती धागे को, जो उक्त नियमों के नियम 96-फ में दी गई विशेष प्रक्रिया के अधीन काम करने वाले कारखाने द्वारा उत्पादित सूती फैनिक से निकलने वाले टुकड़ों में लगा हो तथा जैसा कि वह नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है जितना कि इस सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक हो ।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क
(1)	(2)	(3)
		प्रति किलोग्राम
		रुपए
1.	सुपरफाइन फैनिक के टुकड़ों में लगा सूती धागा . . .	2.00
2.	फाइन फैनिक के टुकड़ों में लगा सूती धागा . . .	0.80
3.	मध्यम-क फैनिक के टुकड़ों में लगा सूती धागा . . .	0.45
4.	मध्यम-ख फैनिक के टुकड़ों में लगा सूती धागा . . .	0.30
5.	मोटे फैनिक के टुकड़ों में लगा सूती धागा . . .	0.15

(1)

(2)

(3)

(4)

6. टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा में लगा सूती धागा

आधारिक फैब्रिक के टुकड़ों में लगे सूती धागे पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि न दिया गया हो ।

7. सेलुलोज व्यत्पादों या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्रियों की विनिमित्तियों से गभित या विलेपित टुकड़ों में लगा सूती धागा

आधारिक फैब्रिक के टुकड़ों में लगे सूती धागे पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि न दिया गया हो ।

स्पष्टीकरण—

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ—

- (i) "आधारिक फैब्रिक" का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 में दिया गया है ।
- (ii) ऐसे टुकड़ों में, जो कारखाने से निकासी के समय कोरे हों, लगे धागे का भार, टुकड़े के भार का पञ्चानवे प्रतिशत संगणित किया जाएगा ।

[सं० 50/69]

सा० का० नि० 715.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8क के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 24 जुलाई, 1965 की अधिसूचना सं० 116/65-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को प्रतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18क के अंतर्गत आने वाले सूती धागे को, जो उस सूती फैब्रिक के टुकड़ों में लगा हो जो साधारणतः मलियों किस्म का कहा जाता है तथा जिसमें ताने व बाने के धागे एक दूसरे को रोकते हुए जंजीरनुमा टांकों से आपस में जुड़े और बंधे रहते हैं, [जो पूर्वोक्त अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद I(2) (च) के अंतर्गत आते हैं] उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है जितना कि 16.5 पैसे प्रति किलोग्राम से अधिक हो ।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ ऐसे टुकड़ों में, जो कारखाने से निकासी के समय कोरे हों, लगे धागे का भार टुकड़े के भार का पञ्चानवे प्रतिशत संगणित किया जाएगा ।

[सं० 51/69]

सा० का० नि० 716.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 26 मई, 1967 की अधिसूचना सं० 83/67-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को प्रतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार के द्वीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18 के अन्तर्गत आने वाले तथा नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सूती बटे हुए धागे और डोरे को, उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उतने भाग से एतद्वारा छूट देती है जितना कि उक्त सारणी के क्रमशः स्तंभ (3) या स्तम्भ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक हो :—

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क	अ य सव
		बकहूरा धागा चाहे कोरा हो या विरंजित और कोरा बहुवर्तित धागा लच्छियों में	
(1)	(2)	(3)	(4)
रूपये—			
प्रति किलोग्राम			
सूती बटा हुआ धागा या डोरा —			
1.	69 या अधिक काउंट का	0.90	1.50
2.	51 या अधिक काउंट का किन्तु 69 से कम काउंट का	0.65	1.25
3.	40 या अधिक काउंट का किन्तु 51 से कम काउंट का	0.40	1.10
4.	34 या अधिक काउंट का किन्तु 40 से कम काउंट का	कुछ नहीं	0.80
5.	29 या अधिक काउंट का किन्तु 34 से कम काउंट का	कुछ नहीं	0.70
6.	22 या अधिक काउंट का किन्तु 29 से कम काउंट का	कुछ नहीं	0.40
7.	14 या अधिक काउंट का किन्तु 22 काउंट से कम का	कुछ नहीं	0.25
8.	14 से कम काउंट का	कुछ नहीं	0.13

परन्तु:—

(क) कोई बटा हुआ धागा या डोरा, जिस पर सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दर शुल्क दिया जा चुका हो, बाद में चमकाने, ऐंठने, लपेटने, वलित करने, या अंदरे की या इनमें से एक या अधिक प्रक्रिया के अधीन शक्ति की सहायता से किया जाए तो बटा हुआ धागा या डोरा अतिरिक्त शुल्क का दायी होगा जिसकी दर उस अंतर के बराबर होगी जो उस धागे के बारे में सारणी के स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट दरों में है;

(ख) ऐसे बटे हुए धागे या डोरे पर अतिरिक्त शुल्क उद्ग्रहणीय न होगा जिस पर शुल्क सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट दर से पहले ही दिया जा चुका हो, यद्यपि ऐसा बटा हुआ धागा या डोरा बाद में चमकाने, ढँठने लपेटने, बलित करने या अटेरने की या इनमें से एक या अधिक प्रक्रिया के अधीन शक्ति की सहायता से या उसके बिना किया जाए ;

(ग) इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे बटे हुए धागे या डोरे को लागू न होगी जिसका बुनाई के लिए उपयोग संयुक्त मिल में किया जाए ;

(घ) चिक्कणित बटे हुए धागे या डोरे पर शुल्क उसके चिक्कण किए जाने के पूर्व के भार पर प्रभावित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिचना के प्रयोजनार्थ :

(i) "लच्छियाँ" से ऐसी लच्छियाँ अभिप्रेत हैं जिसमें सीधी रील का 1,000 मीटर से अधिक बटा हुआ धागा या डोरा नहीं है ;

(ii) "संयुक्त मिल" से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो शक्ति की सहायता से सूती बटे हुए धागे या डोरे को कातने या सूती फेब्रिक बुनने या सूती फेब्रिकों को प्रसंस्कृत करने में लगा हुआ है और जिसका कम से कम ऐसी दो विनिर्मायी रिया-कलाप में स्वत्वधारी हित है ।

[सं० 52/69]

सा० का० नि० 717.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) की तारीख 26 मई, 1967 की अधिसूचना सं 85/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को अधि-ष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथाईनमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18 के अन्तर्गत आने वाले तथा नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सूती बटे हुए धागे और डोरे को जिसका उपयोग संयुक्त मिल में फेब्रिक बुनाई के लिए किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है जितना कि उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक हो ।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	दर
(1)	(2)	(3)
	सूती बटा हुआ धागा या डोरा	(रुपए प्रति किलोग्राम)
1.	29 या अधिक काउंट का किन्तु 34 से कम काउंट का	1.55
2.	29 से कम काउंट का	0.60

स्प.टीकरण :

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ—

- (i) “संयुक्त मिल” से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो शक्ति की सहायता से सूती बटे हुए धागे या डोरे को कातने या सूती फेब्रिक बुनने या सूती फेब्रिकों को प्रसंस्कृत करने में लगा हुआ है और जिसका कम से कम ऐसी दो विनिर्मायी क्रियाकलाप में स्वयंशारी दित है
- (ii) चिक्काणित धागे पर शुल्क उसके चिक्कण किए जाने के पूर्व भार पर प्रसारित किया जाएगा ।

(सं० 53/69)

सं० का० नि० सं 718:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 26 मई, 1967 की अधिसूचना सं० 86/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18 के अन्तर्गत आने वाले तथा नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सूती बटे हुए धागे और डोरे को जिसका उपयोग—

(क) बेल्टिंग, या

(ख) होज पाइप

के विनिर्माण में उसके विनिर्माता (तथा प्रसंस्कृती) द्वारा किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उतने भाग से एतद्वारा छूट देती है जितना कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 1 मार्च, 1969 की अधिसूचना सं० 52/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक हो ।

[सं० 54/69]

सं० क० नि० 719:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 26 मई, 1967 की अधिसूचना सं० 81/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं 18 के अन्तर्गत आने वाले तथा इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रेयन और संश्लिष्ट तंतुओं और धागे को, उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उतने भाग से एतद्वारा छूट देती है जितना कि उस सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित शुल्क से अधिक हो ।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क
(1)	(2)	(3)
		(रुपए प्रति किलो- ग्राम)
1.	रेषा-तंतु—	
(i)	सेलुलोसी उद्भव का	0.75
(ii)	असेलुलोसी उद्भव का :	
(क)	एकत्रित तंतु	4.50
(ख)	अन्य	21.00
2.	रेयन और संश्लिष्ट धागा जो पूर्णतः सेलुलोस व्युत्पादों या पुनर्व्योजित सेलुलोस या दोनों से बना हो —	
(i)	75 दनैर से कम	8.60
(ii)	75 दनैर और अधिक किन्तु 100 दनैर से कम	5.65
(iii)	100 दनैर और अधिक किन्तु 120 दनैर से कम	4.10
(iv)	120 दनैर और अधिक किन्तु 150 दनैर से कम	3.35
(v)	150 दनैर और अधिक किन्तु 350 दनैर से कम	2.85
(vi)	350 दनैर और अधिक किन्तु 1,100 दनैर से अधिक	2.50
(vii)	1,100 दनैर से अधिक	2.00
3.	अन्य संश्लिष्ट धागा	
(क)	पालीमायड (नाइलन) धागा—	
(i)	30 दनैर से कम	22.50
(ii)	30 दनैर और अधिक किन्तु 75 दनैर से कम	21.00
(iii)	75 दनैर और अधिक किन्तु 90 दनैर से कम	18.00
(iv)	90 दनैर और अधिक किन्तु 150 दनैर से कम	15.00
(v)	150 दनैर और अधिक किन्तु 750 दनैर से अनधिक	6.00
(vi)	750 दनैर से अधिक	3.00
(ख)	पालीमायड (नाइलन) से भिन्न धागा—	
(i)	30 दनैर से कम	28.50
(ii)	30 दनैर और अधिक किन्तु 75 दनैर से कम	24.75
(iii)	75 दनैर और अधिक किन्तु 100 दनैर से कम	15.00
(iv)	100 दनैर और अधिक किन्तु 750 दनैर से अनधिक	12.00
(v)	750 दनैर से अधिक	3.00

परन्तु उन विनिर्माताओं की दशा में जिनकी गृह-उपभोग के लिए वित्तीय-वर्ष 1966-67 में के दौरान सेलुलोज उद्भव के संश्लिष्ट धागे की और ऊपर की सारणी की के क्रम सं० 2 के सामने वर्णित रेयन और संश्लिष्ट धागे की मिला कर निकासी 36.5 लाख किलोग्राम से अधिक नहीं थी, उक्त सारणी के क्रम सं० 2(i), 2(ii), 2(iv) और 2(v) के सामने की प्रति किलोग्राम दरे क्रमशः "7.85 रु०", "5.55 रु०", "2.85 रु०" और "2.55 रु०" होंगी।

[सं 55/69]

सा० का० नि० 720.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 28 फरवरी, 1965 की अधिसूचना सं० 24/65-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं० 8 के सामने स्तंभ (2) में श्रृंखला "20" के स्थान पर श्रृंखला और कोष्ठक "20(1)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं 56/69]

सा० का० नि० 721.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 20 की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले रेशमी फोब्रिक को, जो नुकसान पहुंचा हुआ या अधोमानक हो तथा "चिन्वी" के रूप में (अर्थात् सिल्क फोब्रिक के कटे टुकड़े जिनकी लम्बाई 23 सेंटीमीटर या कम है) वर्गीकृत हो, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से एतद्वारा छूट देती है।

[सं 57/69]

सा० का० नि० 722.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 20 की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले रेशमी फोब्रिक को, जो ऊर्ध्वधर प्रकार की स्वचल शटल कंसीदा मशीनों से भिन्न मशीनों पर विनिर्मित हो, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से एतद्वारा छूट देती है।

[सं 58/69]

सा० का० नि० 723.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम (8) के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 20 की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले रेशमी फोब्रिक को उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से एतद्वारा छूट देती है जितना कि मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक हो।

[सं 59/69]

सा० का० नि० 724.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व खण्ड) की तारीख 23 जुलाई, 1955 की अधिसूचना सं० 33 को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 21 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले, 15 सटीमीटर या कम चौड़ाई के ऊनी फेब्रिकों को, उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से एतद्वारा छूट देती है।

[सं० 60/69]

सा० का० नि० 725.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 24 अप्रैल, 1962 का अधिसूचना सं० 50/62 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में उतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है ; अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में “मद सं० 21 के अन्तर्गत आने” पर के स्थान पर “मद सं० 21 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने” पर प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं० 61/69]

सा० का० नि० 726.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 21 की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले ऊनी फेब्रिक को जो ऊष्मीय प्रकार की स्वचल शटल कशीदा मशीनों से भिन्न मशीनों पर विनिर्मित हो, उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उतने भाग से एतद् द्वारा छूट देती है जितना कि आधार्तिक ऊनी फेब्रिक पर, उस पर कशीदा की प्रक्रिया किए जाने के पूर्व, उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक हो।

[सं० 62/69]

सा० का० नि० 727.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 21 की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले ऊनी फेब्रिक को उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उतने भाग से एतद्वारा छूट देती है जितना कि निम्नलिखित से अधिक हो :—

- (i) उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन आधार्तिक फेब्रिक पर उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि न दिया गया हो, तथा
- (ii) ऐसे फेब्रिक के मूल्य का 10 प्रतिशत, जो मूल्य पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार तथा उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन आधार्तिक फेब्रिक पर उद्ग्रहणीय शुल्क की बाबत कटौती अनुज्ञात किए बिना, परिकल्पित किया जाएगा।

[सं० 63/69]

सा० का० नि० 728 .--केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96अ के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारत सरकार (राजस्व और बोमा विभाग) की तारीख 8 नवम्बर, 1966 की अधिसूचना सं० 176/66 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में अंक "6.50" तथा "25.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "13.00" तथा "50.00" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 64/69]

सा० का० नि० 729.--केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा तमक अधिनियम (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद 11 के अन्तर्गत आने वाले सूती फेब्रिक को, जो ऊर्ध्वधर प्रकार की स्वचल शटल कसीदा मशीनों से भिन्न मशीनों पर विनिर्मित हो, उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना कि आधारित सूती फेब्रिक पर, उस पर कसीदा की प्रक्रिया किए जाने के पूर्व उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक हो।

[सं० 65/69]

सा० का० नि० 730 .--केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 69 अ के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 28 फरवरी, 1965 की अधिसूचना सं० 41/65 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करता है। अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में :—

- (1) वर्तमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :
- “सारणी”

	यदि शुल्क त्रिमासिक विया जाए	यदि शुल्क वार्षिक दिया जाए
	र०	र०
जहां कि 4 से अधिक पावरलूम लगे हों	13.00	50.00
जहां कि 4 से अधिक किन्तु 24 से अधिक पावरलूम लगे हों	40.00	150.00
जहां कि 24 से अधिक किन्तु 49 से अधिक पावरलूम लगे हों	80.00	300.00

- (2) द्वितीय परस्तुत में, “80 र०” और “300 र०” अभिव्यक्तियों के स्थान पर क्रमशः “160 र०” और “600 र०” अभिव्यक्तियां प्रस्थापित की जाएंगी ;
- (3) स्पष्टीकरण 1 के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 1--कालावधि की गणना के प्रयोजनार्थ 1 मार्च, 1969 से 31 मई 1969 तक की कालावधि (दोनों दिन सम्मिलित करके) प्रथम त्रिमास समझा जाएगी, 1 मार्च, 1969 से 28 फरवरी, 1970 तक की कालावधि (दोनों दिन सम्मिलित करके) प्रथम वर्ष समझी जाएगी और त्रिमास का कोई भाग पूरा त्रिमास समझा जाएगा।”

[सं० 66/66]

सा० का० नि० सं० 731.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 24 जुलाई, 1965 की अधिसूचना सं० 111/65 सी०ई० को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट कोरे (अप्रसंस्कृत) सूती फेब्रिक को, उन पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद 1(2) (च) के अधीन देय शुल्क के उतने भाग से एतद्वारा छूट देती है जितना कि दो पैसे प्रति वर्ग मीटर से अधिक हो।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन
(1)	(2)
1—	सूती फेब्रिक जो साधारणतः पलियों किस्म के कहे जाते हैं या वे फेब्रिक जिनमें ताने व बाने के धागे एक दूसरे को रोकते हुए जंजीरनुमा टांकों से आपस में जुड़े और बंधे रहते हैं।
2—	पूर्वोक्त अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद I(1) में विनिर्दिष्ट फेब्रिक से भिन्न बिना बुने बधित फेब्रिक, जिनमें प्राकृतिक या सश्लिष्ट तंतु या दोनों हों और वे सश्लिष्ट राल की किस्म के बंधक पदार्थों से या किसी अन्य प्रक्रिया से आपस में जुड़े हों :
	परन्तु यदि कोई फेब्रिक शक्ति की सहायता से प्रसंस्कृत किए जाएं तो वे शुल्क की उसी रकम के दायी होंगे जो कि उसी प्रकार से प्रसंस्कृत मोटे फेब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय होगी।

[सं० 67/69]

सा० का० नि० सं० 732.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 24 अप्रैल, 1962 की अधिसूचना संख्या 34/62—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार सूती फेब्रिक को (चाहे वह सुपरफाइन हो या फाईन या मध्यम-क, या मध्यम-ख या मोटा) जो गोल मच्छरवानी की जाली कहा जाता है जिसमें ताने बाने होते हैं किन्तु रीड़ें और पिक्के नहीं होती, उस पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 19 के उप-मद I(2) (च) के अधीन देय शुल्क के उतने भाग से एतद्वारा छूट देती है जितना कि तत्समय, यथास्थिति, सुपरफाइन, फाईन, मध्यम-क, मध्यम-ख या मोटे फेब्रिकों पर उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक हो।

[सं० 68/69]

सा० का० नि० सं० 733.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 19 के उप-मद I और II के अन्तर्गत आने वाले सूती फेब्रिकों को, जो नुकसान पहुंचे हुए या अधोमानक हों और ध्वनियों के रूप में (अर्थात् सूती कपड़ों के वस्तुतः सामान्य कटे हुए टुकड़े जो 23 सेंटीमीटर या कम लंबाई के हों, ज्ञात हों, उनपर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से एतद्वारा छूट देती है।

[सं० 69/69]

सू० का० नि० सं० 734 --केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद I के अन्तर्गत आने वाले और, नीचे विनिर्दिष्ट सूती फेब्रिक को, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से एतद्वारा छूट देती है :—

- (i) सूती फेब्रिक जो टेक्सटाइल की छपाई, रंगाई, विरंजन, या चिक्कणकरण की प्रक्रिया के लिए आशयित हों ;
- (ii) सूती जीन, लट्ठा, और मारकीन के सूती फेब्रिक जो विलेपित अतर्कषक उद्योग में उपयोग के लिए आशयित हों ;
- (iii) सूती फेब्रिक जो सूती अवशोषक लिन्ट के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित हों ;
- (iv) होज़री, जिसके बारे में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के कलेक्टर को समाधान प्रदान करने वाले रूप से यह साबित कर दिया जाए कि वह होज़री के पहनने के कपड़े बनाने के लिए आशयित है ;
- (v) सूती फेब्रिक की कतरने और कटानें जो 7.5 सेंटीमीटर से अधिक चौड़ी न हों, यदि ऐसी कतरने और कटानें पूर्वोक्त अनुसूची की मद सं 17 के अधीन वर्गीकरण योग्य कागज के विनिर्माण में उपयोग के लिए हों ;
- (vi) भारतीय राष्ट्र-ध्वज ;
- (v i) शल्यचिकित्सीय अवशोषक लिन्ट जो आधे किलोग्राम या कम के पैकेटों में बन्द हों ;
- (viii) नुकसान पहुंचे या अधोमानक सूती फेब्रिक जो चिथड़ों के रूप में वर्गीकृत हैं अर्थात् सूती फेब्रिक के कटे टुकड़े जो 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 92 सेंटीमीटर से कम लंबे हैं ;
- (ix) सूती फेब्रिक जो 15 सेंटीमीटर से अधिक चौड़े न हों ;
- (x) अप्रसंस्कृत सूती फेब्रिक यदि हथकरघे पर विनिर्मित हों ;
- (xi) प्रसंस्कृत खादी अर्थात् भारत में हाथ से काते गए या तो संपूर्णतः सूती धागे से या रेशमी और या ऊनी धागे से मिला कर भारत में हथकरघे पर बुना गया कपड़ा जो खादी और ग्राम्योद्योग आयोग द्वारा इस निमित्त सर्मर्क रूप से प्राधिकृत अधि-कारी द्वारा खादी के रूप में प्रमाणित कर दिया जाए ;
- (xii) अप्रसंस्कृत सूती होज पाइप और इस रूप में बिनी गई निवाड़ ;

(xiii) होजरी, अर्थात् गोन या अन्यथा बुने फेब्रिक जिनमें इकहुरा धागा या इकहुरे या दोहरे धागे का संवर्ग पूरे फेब्रिक में बराबर इस प्रकार चलता है कि वह गोल या सीधी बुनाई मशीन की सब सुइयों में होकर निकलता है ;

(xiv) मध्यम-ख और मोटे फेब्रिक जो 'घोरी', 'साड़ी', 'लट्ठा' 'कमीज का कड़ा या जोन' के वर्णन में आए जैसे कि वे टेक्सटाइल आयुक्त द्वारा सूती टेक्सटाइल (नियंत्रण) आदेश, 1948 के अधीन परिभाषित किए जाएं, और जिनके लिए अधिकतम कारखाना-मूल्य उक्त आदेश के अधीन टेक्सटाइल आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हों :

परन्तु इस अधिसूचना के अधीन छूट (क) मद सं० (i) से (v) तक निर्दिष्ट सूती फेब्रिक को तब तक अनुज्ञात न होगी जब तक कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण उसके बारे में न किया जाए ;

(ख) मद सं० (i) में निर्दिष्ट सूती फेब्रिक को तब के सिवाय अनुज्ञात न होगी जब कि फेब्रिक टेक्सटाइल की छपाई, रंगाई, विरंजन, या चिक्कण करण की प्रक्रिया में पूर्ण तौर पर उपयोग में लाए जाएं और वे मामूली कपड़े के तौर पर आगे उपयोग में न लाए जा सकें ।

[सं० 70/69]

सा० का० नि० 735.—केन्द्रीय उत्पादक-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 19 के उप-मद 11 के अन्तर्गत आने वाले सूती फेब्रिक को उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है जितना कि निम्नलिखित से अधिक हो —

(i) आधारित फेब्रिक पर उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि न दिया गया हो, अथवा

(ii) ऐसे फेब्रिक के मूल्य का दस प्रतिशत जो मूल्य पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार तथा उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन आधारीक फेब्रिक पर उद्ग्रहणीय शुल्क की बाबत कटौती अनुज्ञात किए बिना, परिकलित किया जाएगा ।

[सं० 71/69]

सा० का० नि० 736.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 1 मार्च, 1960 की अधिसूचना सं० 24/60-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को अतिष्ठित करती हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद 1 के अन्तर्गत आने वाले तथा इससे उपाययुक्त सारणी के स्थान (2) में विनिर्दिष्ट

सूती फैब्रिक को, उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उतने भाग से एतद्वारा छूट देती है जितना कि उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक हो :—

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क
(1)	(2)	(3)
		र० प्रति किलोग्राम
1	कोट के कपड़े, सूट के कपड़े, टसर, लट्ठा, गैबर्डिन, वेडफोर्ड, साटन, दनीम, लेपेट, लेस, बिने फैब्रिक, टेपस्ट्री, फनिशिंग फैब्रिक, जिसके अन्तर्गत जकड़ पदों का कपड़ा आता है, गदलपेट, गद्दे का कपड़ा, टेरी तौलिया के कपड़े जिसके अन्तर्गत तुर्की तौलिया का कपड़ा आता है, केवल, किरमिच, डक, फिल्टर कपड़े ट्रेसिंग कपड़े, और बुकरम कपड़े के टुकड़े	4.00
2	सुपर फाइन् सूती फैब्रिक के टुकड़े :	
	(क) कोरे	0.58
	(ख) प्रसंस्कृत	2.28
3	फाइन् सूती फैब्रिक के टुकड़े :	
	(क) कोरे	0.20
	(ख) प्रसंस्कृत	1.10
4	मध्यम-क फैब्रिक के टुकड़े :	
	(क) कोरे	कुछ नहीं
	(ख) प्रसंस्कृत	0.10
5	मध्यम-ख फैब्रिक के टुकड़े :	
	(क) कोरे	कुछ नहीं
	(ख) विरंजित और या रंगे हुए से अन्यथा प्रसंस्कृत	0.10
	(ग) विरंजित और/या रंगे हुए	कुछ नहीं
6	मोटे फैब्रिक के टुकड़े :	
	(क) कोरे	कुछ नहीं
	(ख) विरंजित और या रंगे हुए से अन्यथा प्रसंस्कृत	0.10
	(ग) विरंजित और या रंगे हुए	कुछ नहीं

(1)	(2)	(3)
7 नीचे विनिर्दिष्ट सूती फैब्रिक के टुकड़े :		
(क) सूती फैब्रिक जो साधारणतः मसिमो किस्म के कहे जाते हैं या वे फैब्रिक जिनमें ताने व बाने के धागे एक दूसरे को ढेकते हुए जंजीरनुमा टांकों से आपस में जुड़े और बंधे रहते हैं (जो पूर्वोक्त अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद 1 (2) (च) के अन्तर्गत आते हैं)		0.11
(ख) मद सं० (1) के अन्तर्गत आने वालों से भिन्न बिना बुने बंधित फैब्रिक जिनमें प्राकृतिक या संश्लिष्ट तंतु या दोनों हों और वे संश्लिष्ट राल की किस्म के बंधक पदार्थों से या किसी अन्य प्रक्रिया से आपस में बंधे हों		0.11

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, "टुकड़ों" से सूती फैब्रिक के वस्तुतः कटे हुए टुकड़े (जिनके अन्तर्गत धोतियों और साड़ियों के कटे टुकड़े आते हैं किन्तु तोलियों के कटे टुकड़े नहीं आते) जो 92 सेंटीमीटर या अधिक किन्तु डेढ़ मीटर से अनधिक लम्बे हों (92 सेंटीमीटर या अधिक की नुकसान पहुंची तौलियों को छोड़कर) ।

[सं० 72/69]

सां० का० नि० 737 :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के टुकड़ों को, जो हथ करधे पर विनिर्मित या उक्त नियमों के नियम 96 में दी गई विशेष प्रक्रिया के अधीन कार्य करने वाले कारखानों द्वारा उत्पादित और शक्ति की सहायता से प्रसंस्कृत हों, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद 1 (2) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उतने भाग से एतद्वारा छूट देती है जितना कि उस उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक हो ।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क
(1)	(2)	(3)
		(रुपये प्रति किलोग्राम)
1	सुपरफाइन फैब्रिक के टुकड़े	1.80
2	फाइन फैब्रिक के टुकड़े	0.90
3	मध्यम-क फैब्रिक के टुकड़े	0.08
4	मध्यम-ख और मोटे फैब्रिक के टुकड़े :	
	(क) विरंजित और या रंगे हुए	कुछ नहीं
	(ख) अन्य	0.08

[सं० 73/69]

सा० का० नि० 738.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96यम के अनुसरण में तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 14 मई, 1968 की अधिसूचना संख्या 117/68—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को अतिरिक्त करतें हुए, केन्द्रीय सरकार कसीदा मशीन की प्रति पारी के प्रति मीटर पर शुल्क को दर रुपए 9.50 नियत करती है, यदि पूर्वोक्त मशीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 के उपमद 1 (2) के अन्तर्गत आने वाले सूती फैब्रिकों से टुकड़ों, पट्टियों और अलग बने रूपों में कसीदा के विनिर्माण के लिये काम में लाई जाए :—

परन्तु :—

- (1) ऐसी मशीन की प्रति पारी की प्रति मीटर लम्बाई पर पूर्वोक्त शुल्क दर उस शुल्क के अतिरिक्त होगी जो पूर्वोक्त अनुसूची की मद 19 की उपमद 1 (2) के अधीन उस आधारिक फैब्रिक पर उद्ग्रहणीय हो जो टुकड़े, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा के विनिर्माण में उपयोग में लाया जाए ;
- (2) 1 जनवरी, 1955 से पहले लगाई गई हर ऐसी मशीन के बारे में, मशीन की प्रति पारी की प्रति मीटर लम्बाई पर शुल्क की दर जो ऊपर विनिर्दिष्ट है, 25 प्रतिशत घटा दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ “पारी” से विश्राम अंतराल को छोड़कर दिन में काम करने के आठ से अधिक घंटों की कालावधि अभिप्रेत है, परन्तु यह तब जब एक ही प्रकार का काम कर्मकारों के एक ही संघर्ष द्वारा किया जाए । [सं० 74/69]

सा० का० नि० 739.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 22 की उप मद (1) के अन्तर्गत आने वाले प्रसंस्कृत रेयन तथा कृत्रिम रेशम के फैब्रिक को उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उतने भाग से एतद्वारा छूट देती है जितना कि 3.5 पैसे प्रति वर्ग मीटर से अधिक हो ।

स्पष्टीकरण:

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ “प्रसंस्कृत” से वे सब प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं जो विद्युत या वाष्प की सहायता से मामूली तौर पर की जानी हैं किन्तु इसके अन्तर्गत सादे रोलरों की सहायता से कलैण्डर करने की प्रक्रिया नहीं आती ।

[सं० 75/69]

सा० का० नि० 740.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 22 के उप-मद (2) के अन्तर्गत आने वाले रेयन और कृत्रिम रेशम के फैब्रिकों को, जो ऊर्ध्वधर प्रकार की स्वचल शटल कसीदा मशीनों से भिन्न मशीनों पर विनिर्मित हो, शुल्क के उतने भाग से एतद्वारा छूट देती है जितना कि आधारिक रेयन या कृत्रिम रेशम के फैब्रिक पर, उस पर कसीदा की प्रक्रिया किए जाने के पूर्व उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक हो ।

[सं० 76/69]

सा० का० नि० 741.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 22 की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले रेयन या कृत्रिम रेशम के फैब्रिक की चिन्दियों की उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से एतद्वारा छूट देनी है ।

स्पष्टीकरण :

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ 'चिन्दियों' से 23 सेंटीमीटर या कम लम्बाई के वस्तुतः सामान्य कटे हुए टुकड़े अभिप्रेत हैं ।

[सं० 77/69]

सा० का० नि० 742.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 22 की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले रेयन और कृत्रिम रेशम के फैब्रिक को उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उतने भाग से एतद्वारा छूट देनी है जितना कि निम्नलिखित से अधिक हो:—

- (i) उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन आधारीक फैब्रिक पर उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि न दिया गया हो, तथा
- (ii) ऐसे फैब्रिक के मूल्य का 10 प्रतिशत, जो मूल्य पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार तथा उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन आधारीक फैब्रिक पर उद्ग्रहणीय शुल्क की बाबत कटौती अनुज्ञात किए बिना, परिकलित किया जाएगा ।

[सं० 78/69]

सा० का० नि० 743.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 यस्त के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 22 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले और नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट फैब्रिक की किसी भी किस्म के टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कसीदा मशीनों के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क-दर एतद्वारा 1 मार्च, 1969 से नियत करनी है ।

सारणी

क्रम सं०	आधारीक फैब्रिक की किस्म जिस पर कसीदा किया जाए	मशीन की प्रति पारी प्रति मीटर लम्बाई पर शुल्क मीटर
(1)	(2)	(3)
		रुपये
1.	नायलन फैब्रिक	19.00
2.	रेयन फैब्रिक	9.50

परन्तु—

- (i) ऐसी मशीन की प्रति पारी प्रति मीटर लम्बाई पर पूर्वोक्त शुल्क-दर उस शुल्क के अतिरिक्त होगी जो पूर्वोक्त अनुसूची की मद सं० 22 की उपमद (1) के अधीन उस आधारिक फैब्रिक पर उद्ग्रहणीय हो जो टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा के विनिर्माण में उपयोग में लाया जाए;
- (ii) सारणी में विनिर्दिष्ट मशीन की प्रति पारी की प्रति मीटर की लम्बाई पर शुल्क की दर 1 जनवरी, 1955 के पहले लगाई गई हर ऐसी मशीन के बारे में 25 प्रतिशत घटा दी जाएगी।

रूप टीकरण :

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ—

- (i) “पारी” से विश्राम-अंतराल को छोड़कर एक दिन में काम करने के आठ से अनधिक घंटों की कालावधि अभिप्रेत है, परन्तु यह तब जब एक ही प्रकार का काम कर्म-कारों के एक ही संवर्ग द्वारा किया जाए;
- (ii) “नायलन फैब्रिक” से वह फैब्रिक अभिप्रेत है जो पूर्वोक्त अनुसूची की मद सं० 22 की उपमद (1) के अन्तर्गत आता है और या तो संपूर्णतः या भागतः नायलन से विनिर्मित है, परन्तु भार के 40 प्रतिशत या अधिक नायलन और 60 प्रतिशत या कम रेयन से बना फैब्रिक नायलन फैब्रिक समझा जाएगा।

[सं० 79/69]

सा० का० नि० 744.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर के और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व खंड) की तारीख 28 फरवरी 1954 की अधिसूचना सं० 5-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को प्रतिष्ठित करते हुए केन्द्रीय सरकार नीचे विनिर्दिष्ट तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 22 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले रेयन और कृत्रिम रेशम के फैब्रिक को उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण शुल्क से एतद्वारा छूट देती है :

1. “चिन्दी” अर्थात् सद्भावतः कटे टुकड़े जो—

(क) 23 सेंटीमीटर या कम लंबे हैं;

(ख) 23 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं किन्तु 7.5 सेंटीमीटर से अधिक चौड़े नहीं हैं ;

2. “चिथड़े” अर्थात् सद्भावतः कटे टुकड़े जो 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 92 सेंटीमीटर से कम लंबे हैं;

3. “टुकड़े” अर्थात् सद्भावतः कटे टुकड़े जो 92 सेंटीमीटर या अधिक किन्तु डेढ़ मीटर से अनधिक लंबे हैं और जो फैब्रिक के बीच में नुकसान पहुंचे हुए हैं; केवल किनारों पर नहीं ;

4. सब प्रकार के फैब्रिक जो 30.5 सेंटीमीटर से अधिक चौड़े नहीं हैं ;

5. निम्नलिखित वस्तुएं यदि वे काटी गई या सद्भावतः कुटकर आकारों की बनाई गई हों और 61 सेंटीमीटर से अधिक लंबी न हों अर्थात् :—

- (क) नैपकिन;
- (ख) ट्रे का कपड़ा;
- (ग) रुमाल;
- (घ) भारतीय राष्ट्र ध्वज ; तथा
- (ङ) जिल्द बांधने का कपड़ा ;

6. गोल बिनाई की मशीनों पर विनिर्मित फैब्रिक;

7. अप्रसंस्कृत फैब्रिक ;

8. लास फैब्रिक

[सं० 80/69]

सा० का० नि० 745.—यतः सूती फैब्रिक और रेयन या कृत्रिम रेशम के फैब्रिक जो सेलुलोस व्युत्पादों या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्रियों की निर्मितियों से गर्भित या विलेपित हों वित्त विधेयक 1969 द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की मद संख्या 19 और 22 के अन्तर्गत कर दिए गए हैं;

अतः अब केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार सूती फैब्रिक तथा रेयन और कृत्रिम रेशम के फैब्रिक को जो सेलुलोस व्युत्पादों या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक की सामग्रियों की निर्मितियों से गर्भित या विलेपित हों उन पर उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 22 ख के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देनी है ।

[सं० 81/69]

सा० का० नि० 746.—यतः टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा वित्त विधेयक 1969 द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची मद सं० 19, 20, 21 और 22 के अन्तर्गत कर दिए गए हैं;

अतः अब केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा को उस पर उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 22 ग के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देनी है

[सं० 82/69]

सा० का० नि० 747.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार प्रसंस्कृत खादी को (अर्थात् भारत में या जो संपूर्णतः ऊनी धागे से या सूती और/या रेशमी धागे से मिला कर जो भारत में काता गया हो,

हृषकरसे पर बुता गया ऐसा काड़ा जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इस निमित्त सम्पन्न रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खादी के रूप में प्रमाणित है) उस पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की मद सं० 21 की उपमद (1) के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देनी है

[सं० 83/69]

सं० का० नि० 748.—प्रतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार (क) चीनी (ख) तंबाकू (ग) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 21 के अन्तर्गत आने वाले ऊनी फैब्रिक को तथा (घ) पूर्वोक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 22 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले रेयन तथा कृत्रिम रेशम के फैब्रिक को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क से पूर्णतः छूट-प्राप्त है उन पर प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण प्रतिरिक्त शुल्क से एतद्द्वारा छूट देनी है ।

[सं० 84/69]

सं० का० नि० 749.—प्रतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 13 जून 1962 की अधिसूचना सं० 116-62 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है। अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में “प्रत्येक ऊनी फैब्रिक” शब्दों के स्थान पर “प्रत्येक ऊनी कृत्रिम जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 21 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने हैं” शब्द अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे

[सं० 85/69]

सं० का० नि० 750.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

- (1) ये नियम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (द्वितीय संशोधन) नियम 1969 कहे जा सकेंगे ।
(2) वे शासकको राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 में, नियम 96-अ और 96ब में जहाँ भी “पूरी फैब्रिक” अभिव्यक्ति आई है उसके स्थान पर “सूनी फैब्रिक जो अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद 1 (2) के अन्तर्गत आने हैं” अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जाएगी ।

[सं० 86/69]

सा० का० नि० 751.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 यन् के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार कसीदा मशीन की प्रति पारी प्रति मीटर शुल्क-दर 19 रु० नियत करती है, यदि ऐसी मशीन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद सं० 21 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले ऊनी फैब्रिक से टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाई जाए :

परन्तु—

- (1) ऐसी मशीन की प्रति पारी प्रति मीटर लम्बाई पर पूर्वोक्त शुल्कदर उस शुल्क के अतिरिक्त होगी जो पूर्वोक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 21 की उपमद (1) के अधीन उस आधारिक फैब्रिक पर उद्ग्रहणीय हो, जो टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा के विनिर्माण में उपयोग में लाया जाए;
- (2) ऊपर विनिर्दिष्ट मशीन की प्रति पारी की प्रति मीटर लम्बाई पर शुल्क की दर 1 जनवरी, 1955 के पहले लगाई गई हर ऐसी मशीन के बारे में 25 प्रतिशत घटा दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ “पारी” से विश्राम-अंतराल को छोड़ कर एक दिन में काम करने के आठ से अधिक घंटों की कालावधि अभिप्रेत है, परन्तु यह तब जब एक ही प्रकार का काम कर्मकारों के एक ही संघर्ष द्वारा किया जाए ।

[सं० 87/69]

सा० का० नि० 752.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर के और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 1 मार्च, 1968 की अधिसूचना सं० 41/68—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद 1(2) के अन्तर्गत आने वाले और इससे उपा-बद्ध प्रथम सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सूती फैब्रिक को, उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक हो :—

प्रथम सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क
(1)	(2)	(3)
		(पैसे प्रति बर्ग मीटर)
1.	सूती फैब्रिक, सुपरफाइन	
	(क) कोरे (अप्रसंस्कृत)	7.0
	(ख) विरंजित अथवा/और रंजित किन्तु जो छपे हुए न हों	22.0

(1)	(2)	(3)
		(पैसे प्रति वर्ग मीटर)
(ग) विरंजित अथवा/और रंजित तथा छपे हुए		27.0
(घ) मसिराइज अथवा/और जलसह, चाहे वे विगलन सह हों या न हों, (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए) किन्तु जो छपे हुए न हों		42.0
(ङ) मसिराइज अथवा/और जलसह, चाहे वे विगलन सह हों या न हों, (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए), तथा छपे हुए		47.0
(च) किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए, और/अथवा प्रसंस्कृत अरगंडी जो छपी हुई न हो		57.0
(छ) किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए, और/अथवा प्रसंस्कृत तथा छपी हुई अरगंडी		62.0
2. सूती फेब्रिक, फाइन		
(क) कोरे (अप्रसंस्कृत)		6.0
(ख) विरंजित अथवा/और रंजित किन्तु जो छपे हुए न हों		21.0
(ग) विरंजित अथवा/और रंजित तथा छपे हुए		26.0
(घ) मसिराइज अथवा/और जलसह, चाहे वे विगलन सह हों या न हों, (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए) किन्तु जो छपे हुए न हों		41.0
(ङ) मसिराइज अथवा/और जलसह, चाहे वे विगलन सह हों या न हों, (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए), तथा छपे हुए		46.0
(च) किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए, और/अथवा प्रसंस्कृत अरगंडी जो छपी हुई न हो		56.0
(छ) किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए, और/अथवा प्रसंस्कृत तथा छपी हुई अरगंडी		61.0

(1)

(2)

(3)

(पैसे प्रति वर्ग मीटर)

3. सूती केविल, बन्धन—क

(क) कोरे (अप्रसंस्कृत)	कुछ नहीं
(ख) विरंजित धबवा/घोर रंजित किन्तु जो छे हुए न हों	2.5
(ग) विरंजित धबवा/घोर रंजित तथा छे हुए	5.0
(घ) मसिराद्वय धबवा/घोर जलसह, बाहे के विगलन सह हों या न हों, (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए) किन्तु जो छे हुए न हों	20.0
(ङ) मसिराद्वय धबवा/घोर जलसह, बाहे के विगलन सह हों या न हों, (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए), तथा छे हुए	22.5
(च) किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए, घोर/धबवा प्रसंस्कृत परगंधी जो छपी हुई न हो	35.0
(छ) किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए, घोर/धबवा प्रसंस्कृत तथा छपी हुई परगंधी	37.5

4. सूती केविल, बन्धन—ख

(क) कोरे (अप्रसंस्कृत)	कुछ नहीं
(ख) विरंजित धबवा/घोर रंजित किन्तु जो छे हुए न हों	कुछ नहीं
(ग) विरंजित धबवा/घोर रंजित तथा छे हुए	2.5
(घ) मसिराद्वय धबवा/घोर जलसह, बाहे के विगलन सह हों या न हों, (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए) किन्तु जो छे हुए न हों	10.0
(ङ) मसिराद्वय धबवा/घोर जलसह, बाहे के विगलन सह हों या न हों, (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए), तथा छे हुए	12.5

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

(नस प्रति बर्ग मीटर)

(ब) किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए, और/अथवा प्रसंस्कृत अरगंभी को छपी हुई न हो 25.0

(क) किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए, और/अथवा प्रसंस्कृत तथा छपी हुई अरगंभी 27.5

5. सूती केब्रिक— मोटे

(क) कोरे (अप्रसंस्कृत) कुछ नहीं

(ख) विरंजित अथवा/और रंजित किन्तु जो छे हुए न हों कुछ नहीं

(ग) विरंजित अथवा/और रंजित तथा छे हुए 2.5

(घ) मसिराद्वज अथवा/और जलसह, बाहे के विगलन सह हों, या न हों, (रसद्वज को सम्मिलित करते हुए) किन्तु जो छे हुए न हों 10.0

(ङ) मसिराद्वज अथवा/और जलसह, बाहे के विगलन सह हों या न हों, (रसद्वज को सम्मिलित करते हुए), तथा छे हुए 12.5

(च) किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए, और/अथवा प्रसंस्कृत अरगंभी को छपी हुई न हो 25.0

(छ) किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए, और/अथवा प्रसंस्कृत तथा छपी हुई अरगंभी 27.0

परन्तु यदि दूसरी सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट किस्मों को लागू दर पर शुल्क दे दिया गया है तो उसके स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट फेब्रिक उतने शुल्क से छूट प्राप्त होंगे जितना उक्त सारणी के, यथास्थिति, स्तम्भ 4, स्तम्भ 5, स्तम्भ 6 या स्तम्भ 7 की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक हो।

दूसरी सारणी

क्रम संख्या	कारखाने में लाए जाने के समय फेब्रिक की किस्म	शुल्क का संदाय करने पर कारखाने से निकासी के समय फेब्रिक की किस्म	शुल्क			
			प्रवर्ग क कोरे फेब्रिक से बने उस फेब्रिक की वशा में जो किसी संयुक्त मिल में विनिर्मित नहीं है और जिन्होंने शुल्क दे दिया है या जो शुल्क से छूट प्राप्त है जब कि वे स्वतंत्र प्रसंस्कृतिकार द्वारा प्रसंस्कृत किए जाए।	प्रवर्ग क कोरे फेब्रिक से बने उस फेब्रिक की वशा में जो किसी संयुक्त मिल में विनिर्मित नहीं है और जिन्होंने शुल्क दे दिया है या जो शुल्क से छूट प्राप्त है जब कि वे स्वतंत्र प्रसंस्कृतिकार द्वारा प्रसंस्कृत किए जाए।	प्रवर्ग ख वे अन्य फेब्रिक जो प्रवर्ग क के अन्तर्गत नहीं आते।	प्रवर्ग ग वे अन्य फेब्रिक जो प्रवर्ग क के अन्तर्गत नहीं आते।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(पैसे प्रति वर्ग मीटर)						
सूची फेब्रिक						
1 (क)	कोरे (सुपरफाइन फाईन)	या विरंजित अथवा / और रंजित किन्तु जो छपे हुए न हों।	8.0	14.0	10.0	15.0
(ख)	कोरे (मध्यम-क)	विरंजित अथवा / और रंजित किन्तु जो छपे हुए न हों।	1.5	1.5	2.5	2.5
(ग)	कोरे (मध्यम-ख मोटे)	या विरंजित अथवा / और रंजित किन्तु जो छपे हुए न हों	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2(क) कोरे (सुपरफाइन या फाईन)	या	विरंजित अथवा / और रंजित तथा छपे हुए ।	13.0	19.0	15.0	20.0
(ख) कोरे (मध्यम-क)		विरंजित अथवा / और रंजित तथा छपे हुए ।	4.0	4.0	5.0	5.0
(ग) कोरे (मध्यम-ख मोटे)	या	विरंजित अथवा / और रंजित तथा छपे हुए ।	1.5	2.0	2.5	2.5
3(क) कोरे (सुपरफाइन फाईन)	या	मसिराइज अथवा/और जलसह, चाहे वे विगलनसह हों या न हों (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए) किन्तु जो छपे हुए न हों ।	24.0	32.0	30.0	35.0
(ख) कोरे (मध्यम-क)		मसिराइज अथवा / और जलसह, चाहे वे विगलनसह हों या न हों (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए) किन्तु जो छपे हुए न हों/	14.0	17.0	20.0	20.0
(ग) कोरे (मध्यम-ख मोटे)	या	मसिराइज अथवा /और जलसह, चाहे वे विगलनसह हों या न हों (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए) किन्तु जो छपे हुए न हों ।	3.5	3.5	10.0	10.0
4(क) कोरे (सुपरफाइन फाईन)	या	मसिराइज अथवा/और जलसह, चाहे वे विगलनसह हों या न हो (रबड़कृत को सम्मिलित करते हैं) तथा छपे हुए ।	29.0	37.0	35.0	40.0
(ख) कोरे (मध्यम-क)		मसिराइज अथवा/और जलसह, चाहे वे विगलनसह हो या न हों (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए), तथा छपे हुए ।	16.5	19.5	22.5	22.5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(ग) कोरे (मध्यम-छ मोटे)	या	मसिराइन अथवा और जलगाह, चाहे वे विगलनसह हों या न हों (खड्कृत को सम्मिलित करते हुए) तथा छपे हुए।	5.5	6.0	12.5	12.5
5(क) कोरे (सुपरफाइन फाइन)	या	(च) किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत सकुंचनसह को सम्मिलित करते हुए, और/अथवा प्रसंस्कृत अरगंडी जो छपी हुई न हो।	36.0	45.5	45.0	60.0
(ख) कोरे (मध्यम-क)		(च) किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, सकुंचनसह को सम्मिलित करते हुए और/अथवा प्रसंस्कृत अरगंडी जो छपी हुई न हो।	26.0	30.5	35.6	35.5
(ग) कोरे (मध्यम-ब मोटे)	या	(च) किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, सकुंचनसह को सम्मिलित करते हुए और/अथवा प्रसंस्कृत अरगंडी जो छपी हुई न हो।	7.0	9.5	35.0	25.0
6(क) कोरे (सुपरफाइन फाइन)	या	किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, सकुंचनसह को सम्मिलित करते हुए और / अथवा प्रसंस्कृत तथा छपी हुई अरगंडी।	41.0	50.5	50.0	50.0
(ख) कोरे (मध्यम-क)		किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, सकुंचनसह को सम्मिलित करते हुए और/अथवा प्रसंस्कृत तथा छपी हुई अरगंडी।	28.5	33.0	37.5	37.5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(ग) कोरे (मध्यम-ब मोटे)।	या	कितनी अन्य रीति स प्रसंस्कृत, सकुंचनसह को सम्मिलित करते हुए श्रीर/अथवा प्र-संस्कृत तथा छरी हुई अलगही।	9.5	12.0	27.5	27.5
7(क) विरंजित अथवा / रंजित (सुपरफाइन या फाईन)	श्रीर	छपे हुए	5.0	5.0	5.0	5.0
(ख) विरंजित अथवा / रंजित (मध्यम-क)	श्रीर	छपे हुए	2.5	2.5	2.5	2.5
(ग) विरंजित अथवा रंजित (मध्यम-ब या मोटे)	श्रीर	छपे हुए	1.5	2.0	2.5	2.5
8(क) विरंजित अथवा / रंजित (सुपरफाइन या फाईन)	श्रीर	मसिराइज अथवा / श्रीर जलसह, चाहे वे विग-जनसह हों या न हों (रबकृत को सम्मिलित करते हुए) किन्तु जो छपे हुए न हों।	16.0	18.0	20.0	20.0
(ख) विरंजित अथवा / रंजित (मध्यम-क)	श्रीर	मसिराइज अथवा / श्रीर जलसह, चाहे वे विग-जनसह हों या न हों (रबकृत को सम्मिलित करते हुए) किन्तु जो छपे हुए न हों।	12.5	15.5	17.5	17.5
(ग) विरंजित अथवा रंजित (मध्यम-ब मोटे)	श्रीर	मसिराइज अथवा / श्रीर जलसह, चाहे वे विग-जनसह हों या न हों (रबकृत को सम्मिलित करते हुए) किन्तु जो छपे हुए न हों।	3.5	3.5	10.0	10.0
9(क) विरंजित अथवा / रंजित (सुपरफाइन अथवा फाईन)	श्रीर	मसिराइज अथवा / श्रीर जलसह, चाहे वे विग-जनसह हों या न हों (रबकृत को सम्मिलित करते हुए) तथा छपे हुए।	21.0	23.0	25.0	25.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(ख) विरंजित अथवा रंजित (मध्यम-क)	और	मसिराइज अथवा जलसह, चाहे वे विग-लनसह हों या न हों (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए) तथा छपे हुए ।	15.0	18.0	20.0	20.0
(ग) विरंजित अथवा रंजित (मध्यम-ख या मोटे)	और	मसिराइज अथवा जलसह, चाहे विग-लनसह हों या न हों (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए) तथा छपे हुए ।	5.5	6.0	12.5	12.5
10(क) विरंजित अथवा रंजित (सुपरफाइन या फाइन)	और	(च) किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, सकुंचनसह को सम्मिलित करते हुए, और/अथवा प्रसंस्कृत अरगंडी जो छपी हुई न हो ।	28.0	31.5	35.0	35.0
(ख) विरंजित अथवा रंजित (मध्यम-क)	और	(च) किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, सकुंचनसह को सम्मिलित करते हुए, और / अथवा प्रसंस्कृत अरगंडी जो छपी हुई न हो ।	24.5	29.0	32.5	32.5
(ग) विरंजित अथवा रंजित (मध्यम-ख या मोटे)	और	(च) किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, सकुंचनसह को सम्मिलित करते हुए, और / अथवा प्रसंस्कृत अरगंडी जो छपी हुई न हो ।	7.0	9.5	25.0	25.0
11(क) विरंजित अथवा रंजित (सुपरफाइन या फाइन)	और	किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, सकुंचनसह को सम्मिलित करते हुए, और / अथवा प्रसंस्कृत तथा छपी हुई अरगंडी ।	33.0	36.5	40.0	40.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(ख) विरंजित अथवा / और रंजित (मध्यम-क)	किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचनसह को सम्मिलित करते हुए, और / अथवा प्रसंस्कृत तथा छपी हुई अरगंडी ।	27.0	31.5	35.0	35.0	
(ग) विरंजित अथवा / और रंजित (मध्यम-ख या मोटे)	किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचनसह को सम्मिलित करते हुए, और / अथवा प्रसंस्कृत तथा छपी हुई अरगंडी ।	9.5	12.0	27.5	27.5	
12(क) विरंजित अथवा / और रंजित तथा छपे हुए (सुपरफाइन या फाइन)	मसिराहज अथवा / और जलसह, चाहे वे विग- लनसह हों या न हों (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए)	16.0	18.0	20.0	20.0	
(ख) विरंजित अथवा/और रंजित तथा छपे हुए (मध्यम-क) !	मसिराहज अथवा/और जलसह, चाहे वे विग- लनसह हों या न हों (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए)	12.5	15.5	17.5	17.5	
(ग) विरंजित अथवा / और रंजित यदि छपे हुए हों (मध्यम-ख या मोटे)	मसिराहज अथवा / और जलसह, चाहे वे विगलनसह हों या न हों (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए)	4.0	4.0	10.0	10.0	
13(क) विरंजित अथवा / और रंजित तथा छपे हुए (सुपरफाइन या फाइन)	किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचनसह को सम्मिलित करते हुए, और / अथवा प्रसंस्कृत अरगंडी ।	28.0	31.5	35.0	35.0	
(ख) विरंजित अथवा / और रंजित और छपे हुए (मध्यम-क)	किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचनसह को सम्मिलित करते हुए, और / अथवा प्रसंस्कृत अरगंडी ।	24.5	39.0	32.5	32.5	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(ग) विरजित अथवा / और रंजित छपे हुए (मध्यम-ब या मोटे)	किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचनसह को सम्मिलित करते हुए, और / अथवा प्रसंस्कृत अरगंडी।	8.0	10.0	25.0	25.0
14(क)	मसिराइज अथवा / और जलसह, चाहे वे विगलनसह हों या न हों (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए) किन्तु जो छपे हुए न हों (सुपरफाइन या फाईन)	छपे हुए	5.0	5.0	5.0	5.0
	(ख) मसिराइज, अथवा / और जलसह, चाहे वे विगलन- सह हों या न हों (रबड़- कृत को सम्मिलित करते हुए) किन्तु जो छपे हुए न हों (मध्यम-क)	छपे हुए	2.5	2.5	2.5	2.5
	(ग) मसिराइज अथवा/ और जलसह, चाहे वे विगलनसह हों या न हों, (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए) किन्तु जो छपे हुए न हों (मध्यम-ब या मोटे)	छपे हुए	2.0	2.5	2.5	2.5
15(क)	मसिराइज अथवा/ और जलसह, चाहे वे विगलनसह हों या न हों, (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए) किन्तु जो छपे हुए न हों (सुपरफाइन या फाईन)	किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचनसह को सम्मिलित करते हुए, और/ अथवा प्रसंस्कृत अर- गंडी जो छपी हुई न हो।	12.0	13.5	15.0	15.0
	(ख) मसिराइज अथवा/ और जलसह, चाहे वे विगलनसह हों या न हों, (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए और/ अथवा प्रसंस्कृत अर- गंडी जो छपी हुई न हो।	किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए और/ अथवा प्रसंस्कृत अर- गंडी जो छपी हुई न हो।	12.0	13.5	15.0	15.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	सम्मिलित करते हुए) किन्तु जो छपे हुए न हों (मध्यम-क)	अथवा प्रसंस्कृत अर- गंभी जो छपी हुई न हो।				
(ग)	मसिराइज अथवा/ और जलसह, चाहे वे विगलनसह हों या न हों, (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए) किन्तु जो छपे हुए न हों (मध्यम-क)	किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत संकुचन- सह को सम्मिलित करते हुए, और/ अथवा प्रसंस्कृत अर- गंभी जो छपी हुई न हो।	8.5	6.0	15.0	15.0
16(क)	मसिराइज अथवा/ और जलसह, चाहे वे विगलनसह हों या न हों, (रबड़कृत को सम्मि- लित करते हुए) किन्तु जो छपे हुए न हों (सुपर- फाइन या फाईन)	किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए, और/अथवा प्र- संस्कृत तथा छपी हुई अरगंभी।	17.0	18.5	20.0	20.0
(ख)	मसिराइज अथवा/ और जलसह, चाहे वे विगलनसह हों या न हों, (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए) किन्तु जो छपी हुई न हों (मध्यम-क)	किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए, और/ अथवा प्रसंस्कृत तथा छपी हुई अरगंभी।	14.5	16.0	17.5	17.5
(ग)	मसिराइज अथवा/ और जलसह, चाहे वे विगलनसह हों या न हों, (रबड़कृत को सम्मि- लित करते हुए) किन्तु जो छपे हुए न हों (मध्यम-ख या मोटे)	किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए, और/ अथवा प्रसंस्कृत तथा छपी हुई अरगंभी।	6.0	8.5	17.5	17.5
17(क)	मसिराइज अथवा/ और जलसह, चाहे वे विगलनसह हों या न हों, (रबड़कृत को सम्मि- लित करते हुए) तथा छपे हुए (सुपरफाइन, फाइन या मध्यम-क)	किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए और/ अथवा प्रसंस्कृत अर- गंभी।	12.0	13.5	15.0	15.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(ब) मसिराहज अथवा/ और जलसह, चाहे वे विगलनसह हों या न हों, (खड़कृत को सम्मिलित करते हुए) तथा छपे हुए (मध्यम-ख या मोटे)	किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए और/ अथवा प्रसंस्कृत अर-गंडी	4.0	6.0	15.0	15.0
16	(क) किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए और / अथवा प्रसंस्कृत अरगंडी जो छपी हुई न हो (सुपरफाइन या फाइन)	किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए और/ अथवा प्रसंस्कृत तथा छपी हुई अरगंडी	5.0	5.0	5.0	5.0
	(ब) किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए, और/अथवा प्रसंस्कृत अरगंडी जो छपी हुई न हो (मध्यम-क मध्यम-ख या मोटे)	किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए, और/अथवा प्रसंस्कृत तथा छपी हुई अरगंडी	2.5	2.5	2.5	2.5
19	किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए, और/अथवा प्रसंस्कृत अरगंडी जो छपी हुई न हो	किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए, और/अथवा प्रसंस्कृत अरगंडी जो छपी हुई न हो	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
20	किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए, और/अथवा प्रसंस्कृत तथा छपी हुई अरगंडी	किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचन सह को सम्मिलित करते हुए, और/अथवा प्रसंस्कृत अरगंडी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

परन्तु यह और कि—

- (क) एक ही स्वामित्व के अधीन के एक या अधिक कारखानों में, जिनमें कुल मिलाकर तीन सौ से अनधिक विद्युतचालित करघे स्थापित हैं, विद्युत चालित करघों पर उत्पादित कोरे, सुपरफाइन और फाइन फैब्रिक पर शुल्क की दरें यथापूर्वोक्त समुचित दरों की आधी होंगी;
- (ख) ऐसे फैब्रिक की दशा में—
 - (i) जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 19 की उपमद संख्या 1(2)(च) के अधीन वर्गीकृत किए जा सकते हैं;
 - (ii) जो किसी संयुक्त मिल में विनिर्मित नहीं हुए हैं, तथा
 - (iii) जिन पर, प्रसंस्कृत करते समय, शुल्क दिया जा चुका है, यदि फैब्रिक का भारित समान्तर माध्य काउन्ट क्रमशः 48 एस या उससे अधिक, 35 एस या उससे अधिक किन्तु 48 एस से कम, 26 एस या उससे अधिक किन्तु 35 एस से कम, 17 एस या उससे अधिक किन्तु 26 एस से कम, या 17 एस से कम है तो शुल्क की दर वही रहेगी जो, यथास्थिति, सुपरफाइन, फाइन, मध्यम-क, मध्यम-ख या मोटे प्रवर्ग के सूती फैब्रिक के लिए प्रथम परन्तुक के अधीन विहित है ।

स्पष्टीकरण—1 :

यह अधिसूचना किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 194 के नियम 174 या अन्य सुसंगत उपबन्धों के अनुसरण में —

- (क) विद्युत चालित करघों पर सूती फैब्रिक के विनिर्माण के लिए प्रथम बार अनुज्ञप्ति के लिए, अथवा
- (ख) ऐसे फैब्रिक के विनिर्माण के लिए, फरवरी, 1965 के 28वें दिन से पूर्व निकाली गई किसी अनुज्ञप्ति के इस आणय के संशोधन के लिए (चाहे इसके लिए वस्त्र आयुक्त से अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात् या उसके बिना) कि अनुज्ञप्ति में यथाविनिर्दिष्ट विद्युत चालित करघों की संख्या में या कारखाने के अवस्थान में या विद्युत चालित करघों के स्वामित्व में परिवर्तन हो जाए, फरवरी, 1965 के 28वें दिन से आरम्भ और 28 फरवरी, 1966 को समाप्त होने वाली कालावधि में (इन दोनों ही तारीखों को सम्मिलित करते हुए) किसी भी समय आवेदन किया था, विद्युत चालित करघों पर उत्पादित सूती फैब्रिक को भी लागू होगी ।

स्पष्टीकरण 2 :

इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए—

- (1) निम्नलिखित प्रक्रियाएं प्रसंस्करण नहीं समझी जाएंगी, अर्थात्—

- (क) विद्युत शक्ति या भाप की सहायता के बिना प्रसंस्करण, परन्तु यह तब जब कि इस प्रकार अभिसंस्कृत फैब्रिक किसी अन्य प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं किया जाता [जिसके अन्तर्गत इस खंड की मदों (ख) से लेकर (ट) तक में वर्णित प्रक्रियाओं में से कोई भी है], जब कि उसका संचालन विद्युत शक्ति या भाप की सहायता से किया जाए, सिवाए उस दशा के जहां कि

अकेले ऐसी किसी प्रक्रिया में लगे हुए किसी कारखाने में फैब्रिक को कलेण्डर करने की (खांचेदार बेलनों से की गई कलेण्डरिंग से भिन्न) प्रक्रिया के अध्यधीन किया जाता है ।

- (ख) कलेण्डर करना (खांचेदार बेलनों द्वारा की गई कलेण्डरिंग के अलावा)
 - (ग) सूती फलालेन तैयार करना,
 - (घ) स्टेंटर करना,
 - (ङ) कोरे और विरंजित छंटे हुए तन्तुओं को भिगोना ।
 - (च) कोरे और विरंजकों की पृष्ठ-भराई ।
 - (छ) सिंगेइंग अर्थात् फैब्रिक की गुत्थियों और ढीले किनारों को जला डालना ।
 - (ज) स्किरिंग अर्थात् रुई में पाए गए सूत और प्राकृतिक तेल को अलग करना ।
 - (झ) छंटनई या बूटा कटाई ।
 - (झ) संसाधन या ताप के द्वारा सेटिंग करना ।
 - (ट) पैडिंग ।
- (2) “संयुक्त मिल” से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो विद्युत शक्ति की सहायता से काटन ट्रिबस्ट, धागे या सूत की कटाई में या सूती फैब्रिक की बुनाई या प्रसंस्करण में लगा हुआ है और कम से कम ऐसी दो विनिर्मायक क्रियाकलापों में स्वामित्व रखता है ।
 - (3) “स्वतन्त्र प्रसंस्करणकार” से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो विद्युत शक्ति की सहायता से बस्त्र के प्रसंस्करण (अनन्य रूप से लगा हुआ है और जो सूत की कटाई या सूती फैब्रिक की बुनाई में लगे हुए किसी कारखाने में कोई साम्यतिक हित नहीं रखता ।
 - (4) “हथकरघे के फैब्रिक” से ऐसे सूती फैब्रिक अभिप्रेत हैं जो हाथ से कते हुए सूती धागे से भिन्न सूती धागों से बने और शारीरिक श्रम से चलने वाले करघों पर बुने हुए हैं ।
 - (5) “संकुचन-सह फैब्रिक” ऐसे से सूती फैब्रिक अभिप्रेत हैं जो ग्राम तौर पर इसी रूप में खरीदे बेचे जाते हैं जो इस प्रयोजन के लिए किसी विशेष यान्त्रिक प्रक्रिया या रसायनिक अभिसंस्करण के अध्यधीन कर दिए गए हैं ।
 - (6) विरंजित अथवा/ और रंजित अथवा/और छेपे हुए फैब्रिक के बारे में, यदि वे जल-सह किए जाने के लिए (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए) किसी कारखाने में प्राप्त होते हैं, यह समझा जाएगा कि उन पर शुल्क दे दिया गया है और सदैव ही दिया जाता रहा है ।

[सं० 88/69.]

सा० का० नि० 753 :—प्रतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष सहत्व के मास) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मध सं० 19 की उपमद 1(1) के अन्तर्गत आने वाले सूती फैब्रिक को, जब वे ऐसे कोरे फैब्रिक से प्रसंस्कृत किए जाएं जिन पर समचित्त शुल्क दिया जा चुका हो, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से एतद्वारा छूट देनी है जितना कि उस कोरे फैब्रिक पर दिया जा चुका हो ।

[सं० 89/69.]

सा० का० नि० 754 :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद 1(1) के अन्तर्गत आने वाले सूती फैब्रिक को, जब वे ऐसे कोरे फैब्रिक से प्रसंस्कृत किए जाएं जिन पर समुचित शुल्क दिया जा चुका हो, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उसने भाग से एतद्वारा छूट देती है जितनी कि उस कोरे फैब्रिक पर दिया जा चुका हो।

[सं० 90/69.]

सा० का० नि० 755 :—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 55) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 11 जनवरी, 1958 की अधिसूचना सं० 5/68 को अतिष्ठित करके हुए, केन्द्रीय सरकार, इससे उपावद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की उन मदों के अन्तर्गत आने वाले, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, सूती फैब्रिक और रेशमी फैब्रिक को, उस पर प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय उसने उत्पाद-शुल्क से एतद्वारा छूट देती है जितना कि विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक हो और यह छूट उक्त सारणी के क्रमशः स्तम्भ (4) और (5) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में दी गई जतों के अन्वये होगी।

भारणी

क्रम सं०	केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं०	वर्णन	शुल्क	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	19	अन या अधोमानक सूती फैब्रिक, जो "चिण्डी" अर्थात् सूती फैब्रिक के अमली सामान्य टुकड़े जो लम्बाई में 23 से० सें० या उस से कम हो, के रूप में वर्गीकृत किए गए हो।	कुछ नहीं	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	19.1	किसी वस्त्र की छपाई, उसके रंजन, विरंजन या चिक्कण करने सम्बन्धी प्रसंस्करण में प्रयोग के लिए आशयित सूती फैब्रिक	कुछ नहीं	यदि पूर्वोक्त नियमों के अध्याय 10 में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण ऐसे फैब्रिक की बाबत किया जाए और फैब्रिक, वस्त्रों की छपाई, उनके रंजन, विरंजन या उनके चिक्कण सम्बन्धी प्रसंस्करण में भी पूरी तरह प्रयोग में लाए जाएं तथा सामान्य वस्त्र के रूप में आगे प्रयोग में न लाए जा सकें।
3.	9.1	सूती ड्रिल लंकलाट और मारकीन के सूती फैब्रिक	कुछ नहीं	यदि फैब्रिक लेपित अपघर्षक उपयोग में प्रयोग में लाए जाने के लिए आशयित हों और पूर्वोक्त नियमों के अध्याय 10 में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण ऐसे फैब्रिक की बाबत किया जाए।
4.	19.1	सूती फैब्रिक	कुछ नहीं	यदि सूती अवशोषक लिट के विनिर्माण में प्रयोग में लाए जाने के लिए आशयित हों और पूर्वोक्त नियमों के अध्याय 10 में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण ऐसे फैब्रिक की बाबत किया जाए।
5.	19.1	होजरी	कुछ नहीं	यदि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाए कि वह होजरी के वस्त्र बनाने में प्रयोग में लाए जाने

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				के लिये प्राशयित है और पूर्वोक्त नियमों के अध्याय 10 में प्रक्रिया का अनुसरण ऐसे फैब्रिक की बात किया जाए।
6.	19.1	सूती कपड़े की कतरने और कटानें जो चौड़ाई में 7 5 सें० मी० से अधिक न हों	कुछ नहीं	यदि ऐसी कतरने और कटानें पूर्वोक्त अनुसूची की मद सं० 17 के अन्तर्गत आने वाले कागज के विनिर्माण में प्रयोग में लाई जाए और पूर्वोक्त नियमों के अध्याय 10 में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण ऐसे फैब्रिक की बात किया जाए
7.	19.1	भारतीय राष्ट्रीय पताका	कुछ नहीं	
8.	19.1	शल्योपयोगी अवशोषक लिट	कुछ नहीं	यदि उसे आधे किलो-ग्राम या उससे कम के पैकटों में पैक किया जाए।
9.	19.1	क्षत या अश्रोमानक सूती फैब्रिक, जो चौथड़ों के, अर्थात् सूती फैब्रिक के ऐसे टुकड़े जो लम्बाई में 23 सें० मी० से अधिक किन्तु 92 सें० मी० से कम हों, रूप में वर्गीकृत किए गए हैं।	कुछ नहीं	
10.	19.1	चौड़ाई में 15 सें० मी० से अनधिक के सूती फैब्रिक	कुछ नहीं	
11.	19.1	हथकरघे पर विनिर्मित सूती फैब्रिक	कुछ नहीं	
12.	19.1	खादी, अर्थात् भारत में हथकरघे पर बुना हुआ कोई कपड़ा जो भारत में हाथ से बना हुआ	कुछ नहीं	यदि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		या तो पूर्णतया सूती धागे से या रेशमी या ऊनी धागे के मिश्रण से बना हुआ हो।		आफिसर उस फैब्रिक को बाढ़ी प्रमाणित करे।
13.	19.1	अप्रसंस्कृत बाढ़ी के होज पाइप और पेटियां जो इस रूप में बनी हों।	कुछ नहीं	
14.	19.1	होजरी, अर्थात् नाली- दार या अन्य प्रकार के बूने हुए फैब्रिक, जिनमें गोला- कार या चपटी बेफ्ट बुनाई की पशीम के सभी तकुबों में से हो कर गुजरने के परिणाम स्वरूप कोई अकेला धागा या दोहरे धागे का कोई सेट उस सारे फैब्रिक में निरन्तर जाला रहता हो।	कुछ नहीं	
15.	19.1	(2) विद्युत चालित करणों पर विनिर्मित सूती फैब्रिक	कुछ नहीं	यदि ऐसे फैब्रिक विद्युत चालित करणों पर बिनिर्मित किए जाएं और विनिर्याता को यह अनुज्ञा दे दी जाए कि वह अप्रसंस्कृत सूती फैब्रिक पर ऐसे शुल्क के लिये जो ऐसे फैब्रिक पर उद्- ग्रहणीय हो, पूर्वोक्त नियमों के नियम 96अ के अधीन निम्न रकम का संदाय कर के अपना वायित्व निर्वा- हित करे।
16.	19.1 (ब)	2 ताने वाले सहित गोल जाली वाली मच्छर दानी का	फाइन, मध्यम-क, मध्यम- ब, और मोटे सूती फैब्रिक पर उद्ग्रहणीय	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		कपड़ा जिसमें रीढ़ और चिक न हों	शुल्क के प्राधिक्य में शुल्क, यदि गोल जाली की मच्छर दानी के भागे का माध्य काउंट, जो बुनाई में ताने बाने के रूप में प्रयुक्त कोरे भागे के समान्तर माध्य की गणना कर के अवधारित किया गया हो, कमशः 35] एत वा उस से अधिक किन्तु 48 एस के कम, 26 एस वा उस से अधिक किन्तु 35 एस के कम 17 एस या उससे अधिक किन्तु 26 एस से कम वा 17 एस से कम हो	
17.	19 1 (2)	विद्युत चालित करवों पर विनिर्मित अप्र-संस्कृत सूती फैब्रिक (क) सुपरफाइन (ख) फाइन (ग) मध्यम-क (घ) मध्यम-ख (ङ) मोटे	प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन उस पर उद्-ग्रहणीय शुल्क का प्राधा प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन उस पर उद्-ग्रहणीय शुल्क का प्राधा प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन उस पर उद्-ग्रहणीय शुल्क का प्राधा प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन उस पर उद्-ग्रहणीय शुल्क का दो-तिहाई प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन उस पर उद्-ग्रहणीय शुल्क का दो-तिहाई	यदि एक ही स्वामित्व वाले एक वा अधिक ऐसे कारखानों में विनिर्मित किया गया हो जिनमें कुल मिला कर 300 से अनधिक विद्युत चालित करवे स्थापित किए गए हों ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	19.1(2)	प्रसंस्कृत सूती फैब्रिक	कुछ नहीं	यदि ऐसे कोरे फैब्रिक से विनिर्मित किया गया हो जिस पर प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क यदि कोई हो, दिया जा चुका है।
19	19.1(2)(ब)	सूती फैब्रिक जो सामान्य-तया मालिमो प्रकार के फैब्रिक के रूप में वर्णित हैं या ऐसे फैब्रिक जिनमें ताने-बाने के प्राये श्रृंखला-बद्ध सीवनों में एक दूसरे को रुद्ध करते हुए जोड़े और बांधे जाते हैं।	7.2 पैसे प्रति वर्ग मीटर	
20	19.1(2)(ब)	प्राकृतिक या संश्लिष्ट तन्तुओं को या दोनों को प्रसंविष्ट करने वाले बिना बुने हुए संयुक्त फैब्रिक जो संश्लिष्ट चपड़े की तरह की जोड़ने वाली वस्तुओं से या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा साथ साथ साधे गए हों।	7.2 पैसे प्रति वर्ग मीटर	
21	19.1(1)	सूती फैब्रिक के टुकड़े	20 पैसे प्रति किलोग्राम	
22	19.1(2)	सूती फैब्रिक के टुकड़े		
	(क)	सुपरफाइन	22 पैसे प्रति किलोग्राम	
	(ख)	फाइन	22 पैसे प्रति किलोग्राम	
	(ग)	मध्यम—क	4.4 पैसे प्रति किलोग्राम	
	(घ)	मध्यम—ख	4.4 पैसे प्रति किलोग्राम	
	(ङ)	मोटे	4.4 पैसे प्रति किलोग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(च) (i) सूती फैब्रिक के टुकड़े जो सामान्य-तथा मालिमो प्रकार के ऐसे फैब्रिक के रूप में वर्णित हैं जिनमें ताने-बाने के छागे थ्रंख-लाबद्ध सीवनों द्वारा एक दूसरे को रुद्ध करते हुए जोड़े और बांधे जाते हैं ।	4. 4 पैसे प्रति किलोग्राम	
		(ii) प्राकृतिक या संश्लिष्ट तन्तुओं को या वॉनों को अन्तर्विष्ट करने वाले बिना बुने हुए संयुक्त फैब्रिक, जो संश्लिष्ट अपड़े की तरह की जोड़ने वाली वस्तुओं से या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा साथ साथ साधे गए हों ।	4. 4 पैसे प्रति किलोग्राम	
23	19	सूती फैब्रिक	कुछ नहीं	यदि उनका भारत से बाहर निर्यात किया जाए और द्वितीय वर्णित अधिनियम के अधीन उस पर कोई शुल्क संदेय न हो ।
24	20	रेशमी फैब्रिक	कुछ नहीं	

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “टुकड़ों” से सूती फैब्रिक के लम्बाई में 92 सें० मी० या उससे अधिक किन्तु 1. 5 मीटर से अनधिक असली टुकड़े (जिनके अन्तर्गत घोटियों और साड़ियों के टुकड़े आते हैं किन्तु तौलिये के टुकड़े नहीं हैं) और लम्बाई में 1. 5 मीटर से अनधिक सूती फैब्रिक जो क्षत हो गए हों (किन्तु 92 सें० मी० या उससे अधिक के क्षत तौलिये इसमें से अपवर्जित हैं) अभिप्रेत हैं ।

[सं० 91/69]

सा० का० नि० 756—प्रतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम,

1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित को एतद्वारा विखंडित करती है :—

(क) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाएं, अर्थात् :—

- (1) तारीख 1 मार्च, 1960 की सं० 25/60—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (2) तारीख 1 मार्च, 1964 की सं० 48/64—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (3) तारीख 4 अप्रैल, 1964 की सं० 83/64—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (4) तारीख 28 फरवरी, 1965 की सं० 44/65—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (5) तारीख 22 मई, 1965 की सं० 79/65—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (6) तारीख 24 जुलाई, 1965 की सं० 112/65—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (7) तारीख 24 जुलाई, 1965 की सं० 115/65—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

(ख) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाएं, अर्थात् :—

- (1) तारीख 8 अक्टूबर, 1966 की सं० 159/66—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (2) तारीख 18 अप्रैल, 1968 की सं० 79/68—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (3) तारीख 18 अप्रैल, 1968 की सं० 81/68—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

[सं० 92/69.]

भा० का० नि० 757 :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित को विखंडित करती है :—

(क) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाएं, अर्थात् :—

- (1) 5 जनवरी, 1957 की सं० सी० ई० आर०—8(28)/56—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (2) 4 मई, 1957 की सं० 29/57—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (3) 6 जुलाई, 1957 की सं० 54/57—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (4) 6 जुलाई, 1957 की सं० 56/57—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (5) 24 अप्रैल, 1962 की सं० 47/62—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (6) 24 अप्रैल, 1962 की सं० 51/62—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (7) 7 जुलाई, 1962 की सं० 147/62—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (8) 5 जून, 1965 की सं० 83/65—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

(9) 24 जुलाई, 1965 की सं० 114/65—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

(ख) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाएँ, अर्थात् :—

- (1) 1 अक्तूबर, 1966 की सं० 153/66—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (2) 15 अक्तूबर, 1966 की सं० 166/66—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (3) 1 सितंबर, 1967 की सं० 199/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (4) 28 अक्तूबर, 1967 की सं० 241/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (5) 18 अप्रैल, 1968 की सं० 77/68—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (6) 18 अप्रैल, 1968 की सं० 78/68—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (7) 18 अप्रैल, 1968 की संख्या 80/68—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (8) 30 अप्रैल, 1968 की सं० 87/68—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
- (9) 30 अप्रैल, 1968 की सं० 89/68—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

[सं० 93/69.]

चार० बी० सिन्हा, उपसचिव ।

